Manual-5

The rules, regulations, instructions, manuals & records held by it or under is control or used by is employees for discharging its functions.

SIDCUL
सर्वेषां विकासाय

पत्रांक 21 / प्र0नि0 / सिडकुल / 2011 दिनांक 15 / सितम्बर 2011

कार्यालय आदेश

टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड के पत्र संख्या THDC:CP:Estt:Deput:04:10:474/1437 दिनांक 23.08.2011 तथा श्री अनूप राज गैरोला, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) के अनुरोध पत्र दिनांक 15.09.2011 के क्रम में श्री अनूप राज गैरोला, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) को सिडकुल से दिनांक 16. 09.2011 की अपरान्ह से मूल विभाग टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। श्री अनूप राज गैरोला, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) के द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यो को अग्रिम आदेशों तक श्री जे0बी0 सिंह, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(एस0रामास्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

1. श्री अनूप राज गैरोला, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) को इस आशय से कि वे अपना समस्त कार्यभार श्री जे0बी0 सिंह, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) को सौपतें हुए अपनी योगदान आख्या वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक)टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड को प्रस्तुत करेंगें।
2. श्री जे0बी0 सिंह, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) को इस आशय से कि वे श्री अनूप राज गैरोला, उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी) से समस्त कार्यभार ग्रहण कर प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावलियों की सूची की एक प्रति प्रशासनिक अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
3. श्री एन0 के प्रसाद, वरिष्ठ प्रबन्ध, (कार्मिक) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड को उनके पत्र संख्या THDC:CP:Estt:Deput:04:10:474/1437 दिनांक 23.08.2011 के क्रम में।
4. वित्त नियंत्रक / प्र0महाप्रबन्धक।
5. व्यक्तिगत पत्रावली / प्रशासनिक अनुभाग।

(एस0रामास्वामी)

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांक 2504 / म0प्र0(परि0–प्रशा0) / सिडकुल / 2011 दिनांक 13 / सितम्बर 2011

कार्यालय ज्ञाप

सिडकुल प्रबन्धन द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुपालन में संविदा में कार्यरत श्री नरेश कुमार कोरंगा, सहायक महाप्रबन्धक, सिडकुल को प्रभारी, उप–महाप्रबन्धक, सिडकुल का दायित्व सौंपा जाता है। इस हेतु श्री कोरंगा को कोई अतिरिक्त परिश्रमिक/भत्ते देय नही होंगे। संविदा की अन्य शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(एस0के0शर्मा)
प्र0महाप्रबन्धक (परि0–प्रशा0)

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1 वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।

2. वित्त नियंत्रक सिडकुल, देहरादून।

3. समस्त उप–महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक।

4. व्यक्तिगत पत्रावली।

(एस0के0शर्मा)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2 – न्यू कैन्ट रोड देहरादून।
फोन – 0135 – 2708100, 2743292, 2743297
फैक्स – 0135 2708109 वेबसाइट :– www.sidcul.com

पत्र संख्याः– 2103 / प्र0म0प्र0 / सिडकुल / ।।, दिनांकः– 20 अगस्त 2011

कार्यालय आदेश

प्रबन्धन द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुपालन में श्री शिवकश्यप, लेखाकार को उनके अनुरोध पर मुख्यालय देहरादून से एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार में स्थानान्तरित किया जाता है। चूंकि स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा। श्री कश्यप कार्यमुक्त होकर क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरिद्वार में योगदान आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करेंगे।

–ह0–
(एस0के0 शर्मा)
प्रभारी महाप्रबन्धक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वैयक्तिक सहायक प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्धक निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. श्री शिव कश्यप लेखाकार, सिडकुल देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक सिडकुल, देहरादून।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरिद्वार।
5. प्रशासनिक विभाग।

–ह0–
(एस0के0 शर्मा)
प्रभारी महाप्रबन्धक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2 – न्यू कैन्ट रोड देहरादून।
फोन – 0135 – 2708100, 2743292, 2743297
फैक्स – 0135 2708109 वेबसाइट :– www.sidcul.com

Ref. No. 1790 /MD/SIDCUL/11 **Date: 01 Aug 2011**

OFFICE ORDER

I, S.Ramaswamy, I.A.S, Managing Director, State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd. (SIDCUL), Dehradun hereby delegate the powers to Sh. K.N. Nautiyal, Asstt. General Manager, SIDCUL Dehradun to Sign and execute the Lease Deed of the Industrial Plot of IT Park, Dehradun, Pharmacity Selaqui, Dehradun for and behalf of SIDCUL.

-Sd-
Managing Director

Copy to :- for information and necessary action.

1. District Magistrate, Dehradun
2. Addl. District Magistrate (Finance), Dehradun
3. Sub Registrar, Dehradun
4. Sh. K.N. Nautiyal, AGM
5. Finance Controller, SIDCUL, Dehradun
6. G.M. (I/c), SIDCUL, Dehradun

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

पत्र संख्याः 1518/उ0म0प्र0/सिडकुल/2011 **दिनांक 23 जुलाई, 2011**

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सेक्टर–1, सी–10,
डिफैंस कॉलोनी, देहरादून।

विषयः <u>सिडकुल कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक।</u>

महोदय,

कृपया सिडकुल के पूर्व पत्रांक 2003 दिनांक 04/09/10 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जो कि सिडकुल के अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने से सम्बन्धित था। इसी क्रम में पुनः प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा पत्रांक 010 दिनांक 20/07/11 के माध्यम से अपीलीय/लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	अधिकारी के नाम	कार्यभार
1.	श्री बी0सी0 तिवारी, वित्त नियंत्रक	अपीलीय अधिकारी
2.	श्री एन0के0 कोरंगा, सहा0महाप्रबन्धक	लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय एवं समस्त एकीकृत औद्योगिक आस्थान–औद्योगिक आस्थान से सम्बन्धित सूचना हेतु।

सूचनार्थ प्रेषित।

–ह0–
(एस0के0शर्मा)
प्रभारी महाप्रबन्धक, (परि0 एवं प्रशा0)

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2 – न्यू कैन्ट रोड देहरादून।
फोन – 0135 – 2708100, 2743292, 2743297
फैक्स – 0135 2708109 वेबसाइट :– www.sidcul.com

पत्र संख्याः 1505/प्र0म0प्र0(परि0एवंप्रशा0)/सिडकुल/2011 **दिनांक 22 जुलाई 2011**

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अधिकारियों के कार्य वितरण हेतु जारी आदेश संख्या 10/MD/SIDCUL/2011 Dt. 20 July 2011 के क्रम में प्रबन्धन की स्वीकृति के उपरान्त अधीनस्थ कर्मचारियों /आशुलिपिक को निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है–

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	कार्य का आवंटन	रिपोर्टिंग अधिकारी
1	श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा आई0टी0 एडमिनिस्ट्रेटर	LLMS सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित कार्य, प्रथम तल मे कार्यालय में हार्डवेयर से सम्बन्धित कार्य एवं मेला प्रदर्शनी का कार्य	श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)
2	श्री अश्विनी कुमार सीनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर	सितारगंज, ऐल्डिको सितारगंज, आई0टी0 पार्क, एम0आई0एस0 के साथ ही कार्यालय के द्वितीय तल में कार्यालय में हार्डवेयर से सम्बन्धित कार्य तथा विधान सभा प्रश्नोत्तर सम्बन्धित कार्य	श्री के0एन0 नौटियाल सहायक महाप्रबन्धक
3	श्री नन्दन सिंह खोलिया सीनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर के आवंटन उपरान्त से सम्बन्धित कार्य	श्री एन0के0 कोरंगा सहायक महाप्रबन्धक
4	श्री विरेन्द्र बडोनी सीनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार के आवंटन उपरान्त से सम्बन्धित कार्य	श्री एन0के0 कोरंगा सहायक महाप्रबन्धक
5	श्री एन0के0 भारद्वाज सीनियर स्टैनोग्राफर	वित्त अधिकारी से सम्बन्धित आशुलिपिक का कार्य	श्री बी0सी0 तिवारी वित्त नियंत्रक
6	श्रीमती पूनम खत्री सीनियर स्टैनो	यू0पी0एस0आई0डी0सी0/यू0पी0एस0आई0सी0 से सम्बन्धित कार्य इलैक्ट्रिकल एव विद्युत अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य	श्री पी0एस0 सजवान सहायक महाप्रबन्धक (प्रशा0) श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)
7	कु0 रूकमणी सीनियर स्टैनो	आई0आई0ई0 हरिद्वार, आई0आई0 सितारगंज/एल्डिको सितारगंज, चाफी के अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य	श्री जे0बी0 सिंह उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी)
8	श्रीमती पूनम व्यास स्टैनो	आई0टी0 पार्क एवं साईबर टावर, ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य	श्री जे0बी0 सिंह उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी)
9	श्री मंजीत सिंह	कोटद्वार ग्रोथ सेंटर एव फार्मासिटी के आवंटन	श्री के0एन0 नौटियाल

	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उपरान्त से सम्बन्धित कार्य	सहायक महाप्रबन्धक
10	श्री प्रदीप कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर एवं एस्कार्ट फार्म के अवस्थापना से सम्बन्धित कार्य	श्री ए0आर0गैरोला उप–महाप्रबन्धक (तकनीकी)
11	कु0 उर्मिला सेमवाल	कम्पनी सचिव से सम्बन्धित कार्य	श्री आर0बी0 सिंह कम्पनी सचिव
12	कु0 शेफाली आशुलिपिक	जसपुर एवं काशीपुर मिल से सम्बन्धित समस्त कार्य के साथ ही समस्त औद्योगिक आस्थानों में प्रथम आवंटन सम्बन्धित कार्य।	श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)
13	कु0 निशा वर्मा आशुलिपिक	विधि से सम्बन्धित कार्य	श्री वी0के0 जैन विधि सलाहकर / श्री पुनीत गुप्ता, विधि अधिकारी
14	कु0 रचना चन्द आशुलिपिक	आशुलिपिक से सम्बन्धित कार्य पत्रिका विज्ञापन एवं आशुलिपिक से सम्बन्धित कार्य	श्री के0एन0 नौटियाल सहायक महाप्रबन्धक कु0 राखी सहायक प्रबन्धक (एच0आर0)
15	कु0 किरन भट्ट आशुलिपिक	कार्मिक एवं प्रशासन से सम्बन्धित समस्त कार्य	श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)
16	कु0 भावना जोशी आशुलिपिक	लोक सूचना अधिकार, से सम्बन्धित कार्य उपस्थिति पंजिका (Bio Metric Attendance) से सम्बन्धित कार्य	श्री एन0के0 कोरंगा सहायक महाप्रबन्धक श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)
17	कु0 तृप्ता शर्मा सहायक लेखाकार	समस्त बीजको/वेतन के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित।	श्री पी0एस0 सजवान सहायक महाप्रबन्धक (प्रशा0)/ श्री एस0 के0 शर्मा प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0एवंप्रशा0)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा एवं सम्बन्धित कर्मचारी पत्रावलियों का चार्ज हस्तगत कराते हुये उसकी एक प्रति प्रशासनिक अनुभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

–ह0–
(एस0के0शर्मा)
प्रभारी महाप्रबन्धक (परि0–प्रशा0)

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बन्धित अधिकारी, सिडकुल।
2. सम्बन्धित कर्मचारी, सिडकुल।
3. प्रशासनिक अनुभाग को इस आशय के साथ कि उक्त की एक प्रति आदेश सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न करना सुनिश्चित करें।

–ह0–
(एस0के0शर्मा)

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun – 248001
Phone – 0135-2743292, 2708100 Fax-0135-2708109
Website: www.sidcul.com

Ref: 10/MD/SIDCUL/2011 Dated: 20 July, 2011

Consequent upon Resignation of S.h S.P Tripathi, General Manager, repatriation of DGM (T) Sh N.K Pant and new joining of AGM Shri K.C Nautiyal & Shri P.S Sajwan the revised work allocation amongst the officers of SIDCUL, is as follows:-

1. Sh B.C Tiwari, Finance Controller

- Incharge Finance and Accounts deptt.
- Member evaluation committee for All IIE's/IE's
- Post allotment of Growth Centre, Kotdwar, Pharmacity, Selaqui, ESIPL Sitarganj, Chaffi and ITPark/Cyber Tower, Escort Farm, AGM concerned shall assist.
- Appellant Authority, RTI, SIDCUL.
- Other works incidental and ancillary to these.

2. Sh. S.K Sharma, General Manager (I/C) (Proj & Admin)

- Incharge Personnel & Administration deptt.
- Transfer of Assets from U.P i.e UPSIDC, Kashipur/Jaspur Spinning Mills etc. concerned AGM shall assist.
- Post allotment IIE Haridwar & Pantnagar. AGM Concerned shall assist.
- Liaison with the state Govt./Sect. & Nodal officer for assembly.
- Infrastructure work of electrical for all IIE's.
- Member evaluation committee for all IIE's/IE's.
- Link officer for Industrial Land Allotment Committee (New Allotments of all IIE's)
- Other works incidental and ancillary to these.

3. Sh. A.R Gairola, DGM (Tech)

Work pertaining to Civil infrastructure of following IIE/IE.

- IIE Pantnagar.
- Escort Farm, Kashipur.
- Pharmacity, Selaqui
- Urban Hatt.
- Mini Industrial Estates in hills (Kumaon Region)

- All legal/arbitration matters related to civil infrastructure work of above IE/IIE in consultation with Legal Section and Administration.
- Other works incidental and ancillary to these.

4. Sh. J.B Singh , DGM(Tech)

- Works pertaining to Civil Infrastructure of following IIE/ IE.
    a) IIE Haridwar
    b) IT Park & Cyber Tower
    c) Growth Centre, Kotdwar
    d) IIE Sitarganj/ELDECO Sitarganj
    e) Chaffi.
    f) Mini Industrial Estates in hills (Garhwal Region)
- All legal/ arbitration mattes related to civil infrastructure work of above IE/ IIE in consultation with Leal Section and Administration.
- Other works incidental and ancillary to these.

5. **Sh. R.B Singh, Company Secretary**.

- All secretarial & Co. affair work.
- Member evolution committee for all IIE's/ IIE.
- Review pricing policy of all industrial estates in Uttarakhand,
- Framing of policy for Industrial Development in Hill Areas.
- Khasra Notification and related legal cases.
- Other works incidental and ancillary to these.

6. S.h N.K Koranga, AGM

- Will be the Nodal Officer for post allotment changes for Pantnagar/Haridwar and process the files through GM (I/C) .
- P.I.O SIDCUL (HQ & All IIE/IE).
- Nodal Officer for Kashipur & Jaspur Spinning Mill related all work & report to GM (I/C)
- Will look after legal cases related with above in consultation with GM (I/C) & Legal Section.
- Other works incidental and ancillary to these.

7. Sh. P.S Sajwan, AGM

- To assist GM (I/C) (P&A) in Admin & Personnel Deptt.
- To assist GM (I/C) in Transfer of Assets form UPSIDC/UPSIC etc.
- Work pertaining to fair and exhibition and will report to GM (I/C)
- Will look after legal cases related with above in consultation with GM (I/C) & Legal Section.
- Other works incidental and ancillary to these.

8. Sh. K.C Nautiyal, AGM

- Will be the Nodal Officer for the post allotment changes for ESIPL Sitarganj, IT Par/ Cyber Tower, Escort Farm and process the file through F.C.
- Will be the Nadal Officer for the post allotment changes for Kotdwar Growth Centre & Pharmacity and process the file through F.C.
- Will look after legal cases related with above in consultation with FC & Legal Section.
- Other works incidental and ancillary to these.

9.Sh. G.P Durgapal Regional Manager.

- Will be responsible for the works related to IIE, Pantnagar & IIE Sitarganj as RM
- Will liaison with various Govt. Departments, Industrial Association and the local bodies.
- Will attend all the meeting convened at various levels.
- Litigation matter pertaining to IIE- Pantnagar & Sitarganj in association with concerned AGM & Legal Section.
- Will ensure implementation of GO for 70% employment of permanent residees for Uttarakhand in different industries located at IIE- Pantnager & Sitarganj.
- Other works incidental and ancillary to these.

10. Sh. H. R Nautiyal, Regional Manager.

- Will responsible for the works related to IIE, Haridwar as RM
- Will liaison with various Govt, Departments, Industrial Association and the local bodies.
- Will attend al the meeting convened at various levels.
- Litigation matter pertaining to IIE- Haridwar in association with concerned AGM & Legal Section.

- Will ensure implementation of GO for 70% employment of permanent residees for Uttarakhand in different industries located at IIE- Haridwar
- Other works incidental and ancillary to these.

1. Finance Controller, GM (I/C) Dy, General Manager & Company Secretary will report to MD.
2. MD will be the Chairman for all evolution Committee.

3. All RM will report to FC/ GM (I/C) through concerned AGM.

The aforesaid order supersedes all previous orders in this regard and shall come into effect immediately. It is also to be amply clarified that the undersigned may at this discretion assign further work to any officer in addition I addition to what has been outlined above. If the situation so demands.

-Sd-
(S. Ramaswamy)
Managing Director

C.C

1. Concerned officers for compliance and information.
2. Administration Department for records.

-Sd-
(S. Ramaswamy)
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun – 248001
Phone – 0135-2743292, 2708100 Fax-0135-2708109
Website: www.sidcul.com

पत्र संख्या 09/प्र0नि0/सिडकुल/2011 दिनांकः 12/जुलाई/2011

आदेश

सिडकुल के आदेश संख्या –08 दिनांक 12.07.2011 के क्रम में श्री एन0के0 पन्त, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा सम्पादित किये जा रहें कार्य श्री जे0बी0 सिंह, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा सम्पादित किये जायेगें। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

–ह0–

(एस0 रामास्वामी)

प्रबन्ध निदेशक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री एन0के0 पन्त, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) को इस आशय से प्रेषित कि वह अपना समस्त कार्यभार एवं सम्बन्धित पत्रावली श्री जे0बी0 सिंह, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) को हस्तागत करायेंगे।

2– श्री जे0बी0 सिंह, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) को इस आशय से प्रेषित कि वे श्री एन0के0 पन्त, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी) से समस्त कार्यभार एवं पत्रावलियां प्राप्त कर रिपोर्ट की एक प्रति प्रशानिक अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3– प्रभारी महाप्रबन्धक/ वित्त नियंत्रक।

4– प्रशासनिक अनुभाग।

भवदीय,

–ह0–

(एस0 रामास्वामी)

प्रबन्ध निदेशक।

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun – 248001
Phone – 0135-2743292, 2708100 Fax-0135-2708109
Website: www.sidcul.com

पत्रांक 4638/प्र0नि0/सिडकुल/2011 **दिनांकः 15/03/2011**

कार्यालय आदेश

जैसा कि अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एवं शसन द्वारा कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को समय से उपस्थिति होने के निर्देश दिये जाते रहें है। उपरोक्त क्रम में सिडकुल कार्यालय में उपस्थिति एवं आने –जाने के समय को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय सिडकुल, एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार एव पंतनगर में Biomatric Reader Attendance Machine की स्थापना की जा रही है। सिडकुल में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है प्रत्येक कार्य दिवस में वे कार्याल मं उपस्थित होते समय सुबह 10:00 बजे एवं कार्यालय छोडते समय सांय 5:00 बजे में सूचना अवश्य दर्ज करायें, अन्यथा इसके बिना वेतन आहरित किया जाना सम्भव नहीं होगा। जो अधिकारी/कर्मचारी दिन में लंच में बाहर जाते हैं वे लंच में जाने व वापस कार्यालय में आने की सूचना भी Biomatric Reader Attendance Machine में दर्ज करायेंगे।

किसी कार्य दिवस में सरकारी कार्य से या़त्रा में जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। उक्त आदेश का कडाई से पालन किया जायेगा।

(एस0 रामास्वामी)
प्रबन्ध निदेशक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक।
2. समस्त उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/आर्कीटैक्ट प्लानर।
3. समस्त कर्मचारी।
4. क्षेत्रीय प्रबनधक, हरिद्वार पन्तनगर एवं सितारगंज को इस इाशय कसे कि सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान से सम्बन्धित समस्त अधिकार व कर्मचारियों को उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रशासनिक अनुभाग को इस आशय से कि वे Biomatric Reader Attendance Machine के अनुसार उपस्थिति प्रमाणित कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरित करने हेतु लेखा विभाग को अग्रसारित करेंगे।

(एस0 रामास्वामी)
प्रबन्ध निदेशक।

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

भाषा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी 2011

विषयः– सरकारी कार्यों में उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 25/XXXVI(3)/2010/85(1)/2009, दिनांक–07 जनवरी, 2010 द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या, 14, 2010) की प्रतियां आपको इस आश्य से प्रेषित हैं कि कृपया उक्त अधिनियम में दिए गये निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

-Sd-
सचिव

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2 – न्यू कैन्ट रोड देहरादून।
फोन – 0135 – 2708100, 2743292, 2743297
फैक्स – 0135 2708109 वेबसाइट :– www.sidcul.com

Ref: 3520/SIDCUL/DGM (P&A)/ Date: 16 Dec, 2010

CIRCULAR

In partial Modification of Order No. 10655/SIDCUL/DGM (P&A) Dated: 29/02/2008 it has been decided that the GM's /DGM's and RM/AGM of the corporation will make their own arrangements for vehicles and will be paid in the following manner"

For GMs/ FC

Rs. 5000/- per month will be paid as conveyance allowance, which is meant for the purpose of to and fro journey from residence to office.

An amount upto a maximum of Rs. 14,000/- will be reimbursed for official purpose per month for the expenses incurred for petrol, Maintenance of vehicle and salary of the Driver. The reimbursement will be as per the Official Log Book maintained of the purpose. This will include Driver's actual Salary for a maximum amount of Rs. 5,400/- per month and local conveyance for official purpose will be calculated @ 8 /- per kilometer.

For DGM's

Rs. 4,000/- per month will be paid as conveyance allowance, which is meant for the purpose of to and fro journey form residence to office.

An amount upto a maximum of Rs. 14,000/- will be reimbursed for official purpose per month for the expensed incurred for petrol, Maintenance of vehicle and salary of the Driver. The reimbursement will be as per the Official Log Book maintained of the purpose. This will include Driver's actual Salary for a maximum amount of Rs. 5,400/- per month and local conveyance for official purpose will be calculated @ 8 /- per kilometer.

For RM / AGM:

Rs. 4,000/- per month will be paid as conveyance allowance, which is meant for the purpose of to and fro journey form residence to office.

An amount upto a maximum of Rs. 11,000/- will be reimbursed for official purpose per month for the expensed incurred for petrol, Maintenance of vehicle and salary of the Driver. The reimbursement will be as per the Official Log Book maintained of the purpose. This will include Driver's actual Salary for a maximum amount of Rs. 5,000/- per month and local conveyance for official purpose will be calculated @ 8 /- per kilometer.

If an officer of corporation goes on official tour outside the municipal limit of Dehradun, he / she shall be entitled for hiring a taxi reimbursement of expenditure @ 7.5/- per km. in case he / she undertake the tour by his / her own vehicle, with the approval of the Managing Director.

This will be effective w.e.f. 16 December, 2010. This circular is being issued with the approval of Managing Director, SIDCUL.

-Sd-
(S.K. Sharma)
DGM (P&A)

Copy for Information to:

1. PS to MD for kind information of MD
2. All GM / DGM/RM/AGM
3. Admin Section
4. Account Section

-Sd-
(S.K. Sharma)

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांक 3671उ0म0प्र0/ सिडकुल/2010
दिनांक 29 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपनल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सिडकुल प्रबन्धन द्वारा मकान किराया भत्ता के सापेक्ष क्रमशः रू0 15,00/– (रू0 एक हजार पांच सौ मात्र) एवं रू0 1,000/– (रू0 एक हजार मात्र) प्रति माह की प्रतिपूर्ति वास्तविक बिल के सापेक्ष दिनांक 01.01.2011 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

-Sd-
(एस0के0 शर्मा)
उप– महाप्रबन्धक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

1. समस्त सम्बन्धित कर्मचारी।
2. वित्त नियंत्रक, सिडकुल, देहरादून।
3. प्रशासनिक विभाग।

-Sd-
(एस0के0 शर्मा)

Charge Certificate

In compliance to Dy. General Manager (P&A) SIDCUL Office Order No. 3217 dated 29/11/2010. I.H.C Hatwal Regional Manager SIDCUL handing over the charge of IIE Haridwar to Mr. H.R Nautiyal on dated 30/11/2010 (B.N)

Handed over by	Taken Over by
(H.C Hatwal)	(H.R. Nautiyal)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 1555/VII-1/520 उद्योग/07
देहरादूनः दिनांक 25, मई 2010

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 590/VII-I/328 उद्योग/2007 दिनांक 28 मई 2007 के द्वारा सिडकुल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सिडकुल जांच आयोग का गठन किया गया था। कार्यालय ज्ञाप संख्या 435/VII-II/520 उद्योग/2007 दिनांक 05 मार्च, 2010 के द्वारा सिडकुल जांच आयोग का कार्यकाल 30 जून, 2010 तक की अवधि के लिए इस शर्त के साथ विस्तारित किया गया था कि इय अवधि में आयोग अपना समस्त कार्य पूर्ण कर लें तथा शासन को अन्तिम आख्या भी प्रस्तुत कर दें। इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि जांच आयोग का कार्यकाल अंतिम रूप से 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ाये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1555/VII-II/520 उद्योग/2010 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
6. अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
8. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
12. वित्त अधिकारी इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2 – न्यू कैन्ट रोड देहरादून।
फोन – 0135 – 2708100, 2743292, 2743297
फैक्स – 0135 2708109 वेबसाइट :– www.sidcul.com

पत्र संख्याः–17752 / प्र0नि0 / सिडकुल / 2009, दिनांकः– 31 जुलाई 2009

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–478 / XXXI (13)G / 2009, दिनांक–30.06.09 जो कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में है, की एक प्रति क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर के साथ आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त रजिस्टर कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक, सिडकुल।
2. वित्त नियंत्रक, सिडकुल।
3. श्री एस0के0 शर्मा, उपमहाप्रबन्धक (परियोजना एवं प्रशासन), सिडकुल।
1. श्री ए0आर0 गैरोला, उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी), सिडकुल।
2. श्री एन0के0 पन्त, उपमहाप्रबन्धक(तकनीकी), सिडकुल।
3. श्री आर0बी0 सिंह, कम्पनी सचिव, सिडकुल।
4. श्री आशीष गुजराल, आर्किटैक्ट प्लानर, सीडा।
5. श्री एन0के0 कोरंगा, सहायक महाप्रबन्धक, सिडकुल।
6. श्री संजय शर्मा, सहायक आर्किटैक्ट, सीडा।
7. श्री वी0के0 जैन, विधि परामर्शी, सिडकुल।
8. श्री बी0आर0 चौहान, सलाहकार, हॉर्टिकल्चर, सिडकुल।
9. कु0 राखी, सहायक प्रबन्धक (एच0आर0), सिडकुल।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समसत प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डायुक्त गढ़वाल / कुमायूं, पौड़ी / नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 30 जून, 2009

विषयः– कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप सभी प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं नयी कार्य संस्कृति से भली भांति अवगत हैं। समयशीलता, समयबद्धता, पारदर्शिता, मित्रवत परिणामोन्मुखी व्यवस्था, तथा वित्तीय अनुशासन नयी कार्य संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव हैं। इन अवयवों के अन्तर्गत कार्य करते हुए ही हम प्रदेश को एक स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील, समयशीन एवं प्रभावी प्रशासन देने में सफल हो सकते हैं।

2. उत्कृष्ठ कार्य संस्कृति और सरकार की प्राथमिकताओं की ओर समय–समय पर समस्त अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। शासन की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको यह सुनिश्चित करना है कि समयशीलता एवं समयबद्धता के प्रति अधिकारीगण एवं कर्मचारी गण प्रतिबद्ध रहें। समयशीलता एवं समयबद्धता को नजर अन्दाज किये जाने से जहां एक ओर स्वच्छ, प्रभावी, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने की गति धीमी होती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने की वचनबद्धता को भी धक्का लगता है और शासन की छवि धूमिल होती है। अतः सभी को समयशील और समयबद्ध रहते हुए कार्यशील रहना है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु मुझे निम्नवत् कहने का निदेश हुआ है किः–

(1) सभी कार्यालयाध्यक्षों, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, प्रतिदिन कार्यालय समय से पूर्व पहुंचें और अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को उपस्थिति कार्यालय में यथा समय सुनिश्चित करायें।

(2) उपस्थिति पंजिका में सभी कर्मचारियों का नाम व पदनाम अंकित किया जाये तथा प्रतिदिन नामित अधिकारी प्रातः 10:15 बजे उपस्थित रजिस्टर अपने पास मंगवाकर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे और कार्यालय में देरी से आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय हेतु यह व्यवस्था 09.45 बजे सुनिश्चित हो।

(अ) महीने में 1 दिन देर से आने पर	मौखिक चेतावनी
(ब) महीने में 2 दिन देर से आने पर	लिखित चेतावनी
(स) महीने में 2 दिन देर से आने पर	एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाना।
(द) 4 या इससे अधिक दिन देर से आने पर	अनुशासनात्मक कार्यवाही का किया जाना।

क्रमशः–2–

(3) कार्यालय के समय के दौरान फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्र भ्रमण का विवरण एक रजिस्टर जिसे ''क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर'' कहा जायेगा, में रखा जाये। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगा–

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	क्षेत्र भ्रमण पर जाने का दिनांक व समय	कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए जाना है	क्षेत्र भ्रमण से लौटने का दिनांक व समय	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

(4) उपरोक्त प्रारूप में ''क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर'' प्रदेश के प्रत्येक कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखा जायेगा और क्षेत्र भ्रमण पर जाने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जायेगां यदि व्यक्तिगत कार्य से कोई अधिकारी/कर्मचारी काय्रालय से बाहर जाता है तो उसके लिए भी''क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर'' में प्रतिष्टि अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कॉलम नं0 4 व 6 में व्यक्तिगत कार्य अंकित करना होगा। इसी प्रकार का रजिस्टर विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों द्वारा भी भरा जायेगा।

(5) उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का दायित्व सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों का होगा।

(6) शासन यह आशा करता है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय के लिये निर्धारित समय का पालन करें और जो अधिकारी/कर्मचारी इसमें ढिलाई दिखायें उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये। प्रत्येक पक्ष में जिलाधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में एक तथ्यपरक सारगर्भित रिपोर्ट अपने मन्तव्य सहित प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

-Sd-
मुख्य सचिव

संख्या–478/XXXI(13)G/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव ..... उत्तराखण्ड ।
2. सचिव ..... उत्तराखण्ड।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

-Sd-
अपर सचिव

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांकः 019 / एम0डी0–कैम्प / 2009 दिनांक 26 / 03 / 2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत पत्र 343(1) / VII-I-09 / 197–उद्योग / 2007 दिनांक 26 / 02 / 09 के क्रम में श्री एन0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, पन्तनगर को सिडकुल से कार्यमुक्त करने हेतु सिडकुल में कार्यरत श्री जी0पी0दुर्गापाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सितारगंज को मोचक अधिकारी नामित किया जाता है। श्री दुर्गापाल दिनांक 31 / 03 / 09 के अपरान्ह में श्री एन0सी0 पन्त को कार्यमुक्त करेंगें एवं श्री पन्त उक्त वार्णित आदेश के परिपालन में अपने पैत्रिक विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें।

ह0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, सिडकुल / मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक / वित्त नियंत्रक, सिडकुल, देहरादून।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक सिडकुल, देहरादून।
6. सम्बन्धित नाम से।

ह0
प्रबन्ध निदेशक।

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांकः 018/एम0डी0–कैम्प/2009 दिनांक 26/03/2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत पत्र 343(1)/VII-I-09/197–उद्योग/2007 दिनांक 26/02/09 के क्रम में श्री सुशील शर्मा, सहा0महाप्रबन्धक को सिडकुल से कार्यमुक्त करने हेतु सिडकुल में कार्यरत श्री नरेश कोरंगा, सहा0महाप्रबन्धक को मोचक अधिकारी नामित किया जाता है। श्री कोरंगा दिनांक 31/03/09 के अपरान्ह में श्री सुशील शर्मा को कार्यमुक्त करेंगें एवं श्री शर्मा उक्त वार्णित आदेश के परिपालन में अपने पैत्रिक विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें।

ह0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, सिडकुल/मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक, सिडकुल, देहरादून।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक सिडकुल, देहरादून।
6. सम्बन्धित नाम से।

ह0
प्रबन्ध निदेशक।

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांकः 17 / एम0डी0–कैम्प / 2009 दिनांक 03 / 06 / 2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 865 / सात–1–09 / 197–उद्योग / 2007 दिनांक 04 / 06 / 09 एवं निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 964–सी0 / उ0नि0(एक)–230 / 2006–07 दिनांक 05 / 06 / 09 के क्रम में श्री एन0सी0 पन्त, सहा0 प्रबन्धक उद्योग द्वारा दिनांक 06 / 06 / 09 (पूर्वान्ह) को सिडकुल मुख्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की दी गई है। तत्क्रम में निदेर्शित करना है कि श्री एन0सी0 पन्त क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल आई0आई0ई0 पन्तनगर का कार्य ग्रहण करेगें एवं श्री जी0पी0 दुर्गापाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सितारगंज के कार्यों को सम्पादित करेगें। श्री एन0सी0 पन्त वर्तमान में आवंटित कार्यों के अतिरिक्त सहा0 लोक सूचना अधिकारी, पन्तनगर का कार्य भी सम्पादित करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

ह0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक / वित्त नियंत्रक, सिडकुल, देहरादून।
2. समस्त उपमहाप्रबन्धक / सहा0 महाप्रबन्धक सिडकुल, देहरादून।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक / स्थानीय अभियन्ता, हरिद्वार, पन्तनगर।
4. प्रशासनिक अनुभाग को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश की एक प्रति कार्यालय आदेश सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न करें।

ह0
प्रबन्ध निदेशक।

संख्याः /VII-1-09/197–उद्योग/2007

प्रेषक,

डा0हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रभारी अपर निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशायल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी,2009

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 4201/उ0नि0(एक)–230/2006–07 दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उद्योग विभाग के सिडकुल में प्रतिनियुक्ति पद नियुक्त कार्मिकों यथा श्री एन0सी0 पन्त एवं श्री सुशील शर्मा, सहायक प्रबन्धक, उद्योग के प्रतिनियुक्ति अवधि बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग निदेशालय के दो कार्मिक सर्वश्री सुशील शर्मा एवं नवीन चन्द्र पन्त, सहायक प्रबन्धक जिन्हें दिनांक 31/03/2009 को सिडकुल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है, की पुनः 31/03/2009 से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है, की पुनः 31/03/2009 से प्रतिनयुक्ति अवधि अवधि बढाये जाना शासनादेशों के अनुकूल नहीं है। यदि औद्योगिकरण के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है, तो इसके लिए निदेशालय के अन्य कार्मिकों को प्रतियिुक्ति पर भेजा जा सकता है, इससे शासनादेशों का अनुपालन भी होगा और औद्योगिक विकास में निदेशालय के अन्य कार्मिकों को भी Expertise प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

3– कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीया,

ह0
(डा0हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन सं0: 343(1)/VII-1-09/197–उद्योग/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0, 2–न्यू कैंठ रोड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेु प्रेषित।

ह0
(डा0हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

STATE INFRASTRUCTURE & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2-New Cantt Road, Dehradun – 248001
Phone - 0135-2708100, 2743292, 2743297

पत्रांकः 18784 / एम0डी0 / सिडकुल / 2009 दिनांक 13 / 10 / 2009

आदेश

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 2513(1) / VII-I / 08–541उद्योग / 07 दिनांक 03 / 07 / 2008 के तहत् नई औद्योगिक भूमि आंवटन नीति के बिन्दु संख्या 5,6, एवं 7 के क्रम में विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में भू–खण्ड आवंटन के अधिकतम मूल्य को बेस दर मानते हुये भू–खण्डों के पुर्नजीवन, पुर्नगठन एवं स्थानान्तरण हेतु समय–समय पर निर्धारित लेवी / पेनाल्टी हेतु बेस दर निम्नवत होंगेः–

1. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार–रू0 3,812.50 / – प्रति वर्ग मी0
2. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर–रू0 4,501.25 / – प्रति वर्ग मी0
3. फार्मा सिटी सेलाकुई, देहरादून– रू0 3,875 / – प्रति वर्ग मी0
4. ग्रोथ सेन्टर, कोटद्वार–रू0 3,500 / – प्रति वर्ग मी0
5. आई0टी0 पार्क, देहरादून–रू0 6,250 / – प्रति वर्ग मी0

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः 1. अध्यक्ष, सिडकुल / मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक / वित्त नियंत्रक / समस्त उपमहाप्रबन्धक / सहा0 महाप्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरिद्वार, पन्तनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रशासनिक अनुभाग को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश की एक प्रति कार्यालय आदेश सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न करें।

ह0
प्रबन्ध निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 3112/VII-1/520 उद्योग/2009
देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 590/VII-I/328 उद्योग/2007 दिनांक 28 मई, 2007 के द्वारा सिडकुल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सिडकुल जांच आयोग का गठन किया गया था। कार्यालय ज्ञाप संख्या 1887/VII-II/520 उद्योग/2007 दिनांक 12 अगस्त, 2009 के द्वारा सिडकुल जांच आयोग का कार्यकाल भविष्यगामी प्रभाव से 4 माह की अवधि अर्थात दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 तक के लिए विस्तारित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवधि दिनांक 11 दिसम्बर,2009 को समाप्त हो जाने के उपरान्त सिडकुल जांच आयोग का कार्यकाल आगामी दिनांक 28 फरवरी, 2010 तक की अवधि के लिए विस्तारित किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3112/VII-II/520 उद्योग/2009 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
6. अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
8. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
12. वित्त अधिकारी इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 3054/VII-1/520 उद्योग/07
देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 3920/VII-I/520 उद्योग/2007 दिनांक 25 नवम्बर, 2008 के द्वारा सिडकुल में जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2009 तक की अवधि हेतु विस्तारित किया गया था। जांच आयोग का कार्यकाल कार्यालय ज्ञाप संख्या 1887/VII-II/520 उद्योग/2007 दिनांक 12 अगस्त, 2009 के द्वारा भविष्यगामी प्रभाव से 4 माह की अवधि अर्थत दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 01 मार्च, 2009 से 11 अगस्त 2009 तक की गैप की अवधि को आयोग की निरन्तरता की अवधि मानते हुये जांच आयोग का कार्यकाल उक्त अवधि को आयोग की निरन्तरता की अवधि मानते हुये जांच आयोग का कार्यकाल उक्त अवधि में भी प्रभावी माने जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3054/VII-II/520 उद्योग/2009 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
6. अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
8. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
12. वित्त अधिकारी इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा) प्रमुख सचिव।

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun – 248001
Phone – 0135-2743292, 2708100 Fax-0135-2708109
Website: www.sidcul.com

पत्रांक 15065/उ0म0प्र0/सिडकुल/2008
दिनांकः 01दिसम्बर/2008

सेवा में,

1. महाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक,
   सिडकुल, देहरादून।
2. समस्त उप–महाप्रबन्धक,
   सिडकुल, देहरादून।
3. कम्पनी सचिव
   सिडकुल, देहरादून।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त सहा0 महाप्रबन्धक
   पन्तनगर/हरिद्वार/सितारगंज/सिडकुल, देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 01/XXXIX/08 दिनांक 12/12/08 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधर पर अवगत कराया गया है कि **'राज्य में कतिपय सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं बोर्डों के शासकीय कार्य एवं जन साधारण सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है'।**

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) 1950 एवं उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 जोकि उत्तराखण्ड राज्य में भी यथा प्रवृत्त है में यह व्यवस्था है कि राज्य की राजभाषा हिन्दी होगी। इस हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र का प्रेषण कर उपर्युक्त अधिनियमों अनुसा शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चत करें।

भवदीय,

(एस0के0 शर्मा)
उप–महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या/VII-1/08–541 उद्योग/07
देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2008

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास हेतु भूमि आवंटन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/नीति/नियमों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास हेतु भूमि आवंटन से संबंधित निम्नवत् नीति तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदानन करते है।

उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास हेतु भूमि आवंटन नीति।

1. यह नीति न तो केवल औद्योकि विकास हेतु है और न ही केवल भूमि आवंटन हेतु बनायी गयी है अपितु दोनों को समान सामन्जस्य करते हुये एक उचित नीति प्रतिपादित की जा रही है, ताकि प्रदेश में उद्योगों को औद्योगिक विकास के नाम पर कम मूल्य में भूमि न दी जा सकें।
2. उक्त दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक औद्योगिक भूमि आवंटन नीति प्रतिपादित की जा रही है, जो निम्न प्रकार हैः–

3. औद्योगिक विकासः–

सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन नीति इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रतिपादित की जा रही है कि प्रदेश में ऐसे उद्योगों को ही प्रोत्याहन दिया जायेगा, जो नई तकनीकी का प्रयोग करेगें, उत्तराखण्ड में बेरोजगारों को समुचित मात्रा में रोजगार उपलब्ध करायेगें, साथ ही उद्योग, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो तथा प्रदेश की पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जायेगा जो कि औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत आते है।

4. औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक भूमि आवंटन नीति अवांछनीय उद्योगों एवं तत्वों को हतोत्साहित करेगी।

5. भूमि आवंटनः–

किसी भी नियत तिथि को प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु कुल उपलब्ध भूमि का 25 प्रतिशत ऐसे उद्योगों हेतु आरक्षित किया जायेगा, जो कि लधु एवं मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आते है, उनके लिये भूमि आवंटन की अधिकतम सीमा 5 एकड़ होगी। इस भूमि का मूल्य सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व में अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

6. कुल उपलब्ध भूमि का 25 प्रतिशत ऐसे उद्यमियों हेतु आरक्षित किया जायेगा, जो कि तकनीकी रूप से उन्नत किस्म के नवीनतम उत्पाद का निर्माण करेगें तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास करने में सहायक होगें, साथ ही स्थानीय निवासियों का रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगें तथा उत्तराखण्ड राज्य में थ्रस्ट सैक्टर से सम्बन्धित उद्योग लगायेगें। इस भूमि का मूल्य सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व में अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

7. बाकी अवशेष 50 प्रतिशत भूमि को ''सेलैक्टिव लॉटरी'' के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा इसका न्यूनतम मूल्य सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित किये जाने वाले भू–खण्ड के समकक्ष क्षेत्रफल के भू–खण्ड हेतु अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

उक्त लॉटरी में निम्नलिखित पात्रता रखने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(अ) ऐसे उद्योग जिनमें शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश हो।

(ब) ऐसे उद्योग जिनका विदेशी स्वामित्व वाले उद्योग जिनका ग्रुप वार्षिक टर्नओवर (Turn over) लगभग 20,000 करोड़ या अधिक हो तथा न्यूनतम 75 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित हों।

(स) ऐसी भारतीस कम्पनियां जिनका वार्षिक ग्रुप टर्नओवर (Turn Over) लगभग 1000 करोड़ या अधिक हो तथा न्यूनतम निवेश रू0 50 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित हो।

9.उद्यामियों को उक्त आवंटन नीति के अन्तर्गत भूमि इस प्रतिवध के साथ आवंटित की जायेगी कि वह आवंटित भूमि पर निर्धारित समय में उद्योग स्थापित करें अन्यथा उद्यमी को एक बार सुनवाई का अवसर देते हुए प्रदेश सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि वापस प्राप्त कर लें।

10. <u>आवंटन प्रक्रियाः–</u>

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्राधिकृत विभागों में लम्बित भूमि आवंटन हेतु आवदेन–पत्र तथा किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकृत विभाग में भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को साप्ताहिक रूप से उपरोक्त भूमि आवंटन नीति के अनुसार आवंटन हेतु स्वीकृति प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

स्वीकृत प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष और सदस्य निम्न प्रकार होगें।

अध्यक्ष	–	मा0 औद्योगिक विकास मंत्री।
उपाध्यक्ष	–	मुख्य सचिव।
सदस्य	–	अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना विकाा आयुक्त।
सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास।
सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त।
सदस्य	–	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय।
सदस्य	–	निदेशक, उद्योग।
सदस्य सचिव	–	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।

11. इसके अतिरिक्त अन्य प्रक्रिया एवं शर्तें पूर्व जारी नियम/नीति एवं प्रक्रिया की भांति यथावत रहेंगी।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2513(1)/VII-1/08–541 उद्योग/07 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिचित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक उद्योग, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 01/XXXIX/2008

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक
   निगम/बोर्ड,
   उत्तराखण्ड।

भाषा विभाग देहरादूनः दिनांक 12 दिसम्बर,2008

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्य पूर्णतः हिन्दी में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में कतिपय सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं बोर्डों के शासकीय कार्य एवं जन साधारण की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं से शिकायते प्राप्त हो रही है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तरा प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) 1950 एवं उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 जो कि उत्तराखण्ड राज्य में भी यथा प्रवृत्त हैं, में यह व्यवसथा है कि राज्य की राजभाषा हिन्दी होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त अधिनियमों के अनुसार शासकीय कार्य राजभाषा हिन्दी में किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0
(राजीव चन्द्र)
सचिव

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun – 248001
Phone – 0135-2743292, 2708100 Fax-0135-2708109
Website: www.sidcul.com

संख्या 1156 / XXVIII-3-2008-213/2001

प्रेषकः

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमुख स्थानिक आयुक्त
उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
3 सचिव, श्री राज्यपाल
उत्तराखण्ड।
4. सचिव विधान सभा
उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोकायुक्त
उत्तराखण्ड।
7. सचिव,
सूचना आयोग उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
9. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
10. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक,
समस्त निगम, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 01, दिसम्बर 2008

विषयः सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008र अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम, 2003 का (2003 का 34) की प्रति तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित नियमावली, 2004 एवं नियमावली, 2008र की प्रति व धूम्रपान निषेध नियम के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशिक बिन्दु की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय अधिनियम एवं संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अधीन अपने अधीनस्थ विभगों में प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक स्थालों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों का अनुपाालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 3751/VII-1/08–541 उद्योग/07
देहरादूनः दिनांक 14 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2513/VII-I/08–541उद्योग/2008/07 दिनांक 03 जुलाई, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् प्रस्तर–7 (द) जोड़ दिया जायः–

''प्रस्तर–5,6 व 7 में उल्लिखित भूमि आवंटन का प्रतिशत भूमि की उपलब्धता व व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुये कम या ज्यादा भी हो सकता है''।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3751(1)/VII-1/08–541 उद्योग/07 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिचित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक उद्योग, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या–3005/सात–2–08/150–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किये जाने, सुनियोजित औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0 490/औ0वि0/03150 उद्योग टी0सी0/2003 दिनांक 17 जुलाई 2003 के द्वारा नई औद्योगिक नीति 2003 प्रख्यापित की गई थी जो 05 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावित थी, भारत सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज के परिप्रेक्ष्य में उक्त औद्योगिक नीति–2003 को 31 मार्च, 2010 अथवा नई औद्योगिक नीति घोषित होने तक यथावत प्रभावी रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

-Sd-
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या–3005(1)/सात–2–08/150–उद्योग/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
11. वरिष्ठ कोषाधिकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

No. 12913/M.D./SIDCUL/08 **Date: 25 July, 2008**

OFFICE ORDER

I, Kunal Sharma, IAS, Managing Director, State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIDCUL), Dehradun hereby delegate the powers to Sh. A.R. Gairola, DGM SIDCUL, Dehradun to sign and execute the Lease Deed of the Industrial plots Pharma City, Selaqui for an on behalf of SIDCUL.

-Sd-
Managing Director

Copy to following for information and necessary action:-

1. District Magistrate, Dehradun.
2. Addl. Dist. Magistrate (F), Dehradun
3. Sub-Registrar Vikas Nagar.
4. Sh. A.R. Gairola, DGM, SIDCUL, Dehradun
5. Sh. S.K. Sharma, DGM (P&A), SIDCUL, Dehradun

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

Ref no. 10774/MD/SIDCUL/08 dated 10-3-2008

OFFICE ORDER

Consequent upon relieving of Sh. Atul Jain, DGM (Tech) and Shri S.K. Parida, DGM (F) & and in the partial modification of order no. 8263/MD/Camp/SIDCUL dated 20th September 2007, following work allocation is hereby done amongst the officers of SIDCUL.

S.No.	Name of Officer	Designation	Details of Responsibilities
1.	Sh. S.P. Tripathi	General Manager	• Incharge of all matters pertaining to SIDCUL
2.	Sh. B.C. Tiwari	Finance Controller	• Incharge of Finance and account department
3.	Sh. S.K. Sharma	Dy. General Manager (Proj. & Admn)	• Incharge of Personnel & Administration Department • Liasion with the State Government/ Secretariat and Nodal Officer for Assembly questions. • Will look after works pertaining to Kashipur and Jaspur Spinning mills & Transfer of Assets from Govt. of U.P. • Will look after the work pertaining electrical Infrastructure of all SIDCUL Industrial Estates.
4.	Sh. A.R. Gairola	DGM (Tech.)	Will look after work pertaining to Civil Infrastructure development of :- • IIE- Pantnagar • Urban Haat • Pharma City, Selaqui

			• Sigaddi Growth Centre, Kotdwar • Escorts Farm Kashipur
5.	Sh. N.K. Pant	DGM (Tech.)	Will look after the work pertaining to Civil Infrastructure development of:- • IIE- Haridwar • Eldeco SIDCUL Industrial Park and IIE Sitarganj (notified and non notified) • Chaffi Project • IT SEZ • IT Park • Cyber Tower • Will look after the work pertaining to Khasra Notification & implementation of GOI concessional Package.
6.	Sh. Sushsil Sharma	AGM	• Will be the Nodal Officer for the allotment of land and post allotment changes for various Industries located at IIE-Pantnagar & Growth Centre, Kotdwar. • Will look after all legal matters in different courts related to above Industrial Estates • Will process the file related with above IIE's through DGM (Gairola) • Work pertaining to Khasra Nos. & GoI concessional Package.
7.	Sh. Naresh Koranga	AGM	• Will assist DGM (P&A) in personal &Administration department • Will be the Nodal Officer for the allotment of land and post allotment changes for various Industrial located in IIE-Haridwar, Pharma City, Selaqui & IT Park • Will look after all legal matters in different courts related to above Industrial Estate. • Will process the files through concerning DGM.
8.	Sh. N.C. Pant	RM	• Will look after the work of IIE- Pantnagar as Regional Manager • Will liasion with various Govt. department, Industrial association and the local bodies. .

			• Will attend all the meeting convened at various levels. • Litigation matter pertaining to IIE- Pantnagar in association with AGM (Sushil Sharma)
9.	G.P. Durgapal	RM	• Will look after the work of IIE Sitarganj, ESIP, Chaffi Project and Escort Farm Kashipur as RM. • Will liasion with various Govt. deptt. Industrial association and other local bodies. • Will attend all the meeting convened a various level. • Litigation matter pertaining to above Industrial Estates in consultation with concerning DGM/s. • Will ensure implementation of GO for 70% employment of permanent resides of Uttarakhand in different industries located at above Industrial Estates.
10.	Sh. H.C. Hatwal	RM	• Will look after the work of IIE- Haridwar at Regional Manager. • Will liaison with various Govt. department Industrial association and the local bodies. • Will attend all the meeting convened a various levels. • Litigation matter pertaining to IIE-Haridwar in association with AGM (Naresh Koranga) • Will ensure implementation of GO for 70% employment of permanent residence of Uttarakhand in different industries located at IIE- Haridwar

Note:-

1. All RM will report to concerned DGM in association with Nodal Officer.
2. All DGM will report to MD.
3. Evaluation committee for different IIE's pertaining to allotment & post allotment matter will be as follows and committee will submit recommendation to MD for consideration.

(A) General Manager -Member

(B) Finance Controller/ Company Secretary -Member

(C) DGM (P & A) -Member

(D)Concerning DGM (T) -Member

(E)Concerning Nodal Officer (AGM) -Member Secretary

This order will come into force with immediate effect.

-Sd-

Managing Director

Copy to :-

1. General Manager, SIDCUL.
2. Finance Controller, SIDCUL .
3. All DGM's/ AGM/ RM's, SIDCUL
4. All concerned Officer's/ Officials, SIDCUL.
5. Admin. Department for personal files of concerned officials.

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

No. 10775/ M.D./SIDCUL/ 2008 Dated: 10 March, 2008

OFFICE ORDER

In partial modification of office order no. 8267/MD/SIDCUL/2007 dated 20.09.2007, the following officers are appointed as PIO of SIDCUL with immediate effect:-

1.	Sh. S.K. Sharma	All the matters pertaining to Head Office, Kashipur and Jaspur Spinning Mill, electrical infrastructure of all IIE's & transfer of assets from U.P.
2.	Sh. N.K. Pant Dy. General Manager (Tech.)	All the matters pertaining to I.I.E, Haridwar, Sitarganj, ESIP, Chaffi Project, Khasra Notification, I.T. Park/I.T., SEZ/Cyber Tower.
3.	Sh. A.R. Gairola, Dy. General Manager (Tech.)	All the matters pertaining to IIE Pantnagar, Groth Centre, Kotdwar, Escort Farm, Kashipur, Urban Haat and Pharma City, Selaqui.

-Sd-
Managing Director

Copy to:-

1. General Manager, SIDCUL.
2. All Dy. General Managers/ Asstt. General Manager, SIDCUL.
3. Finance Controller, SIDCUL.
4. All Regional Managers, SIDCUL
5. Admn. Department, SIDCUL.
6. Uttarakhand Information Commission, Sector-1, C-10, Defence Colony, Dehradun-248001

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

No. 10366/M.D./SIDCUL/08 **Date: 25 Feb, 2008**

OFFICE ORDER

I, Kunal Sharma, IAS, Managing Director, State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited (SIDCUL), Dehradun hereby delegate the powers to Sh. Nikhil Pant, DGM SIDCUL, Dehradun to sign and execute the Lease Deed of the Industrial plots IT Park, Dehradun for an on behalf of SIDCUL.

-Sd-
Managing Director

Copy to following for information and necessary action:-

1. District Magistrate, Dehradun.
2. Addl. Dist. Magistrate (F), Dehradun
3. Sub-Registrar
4. Sh. Nikil Kr. Pant, DGM, SIDCUL, Dehradun
5. Sh. S.K. Sharma, DGM (P&A), SIDCUL, Dehradun

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

No. 9763/M.D./SIDCUL/08 **Date: 24 Jan, 2008**

OFFICE ORDER

Pursuant to the delegation of the powers to the Managing Director, SIDCUL as per the decision of the Board of Directors of SIDCUL vide Resolution dated 23rd Nov, 2007 pertaining to authorization of the officers as authorized signatories of the company for operation of the accounts of the company with the various banks, I, Kunal Sharma, Managing Director, SIDCUL hereby make the following additions/deletions in the name of authorized signatories for the above purpose with immediate effect:-

1. Sh. S.K. Sharma, DGM(P&A) is hereby authorized to sign the cheques and other instruments of the company.

-Sd-
Managing Director

Copy to following for information and necessary action:-

1. General Manager, SIDCUL
2. Sh. B.C. Tiwari, Finance Controller, SIDCUL.
3. Sh. S.K. Sharma, DGM (P&A), SIDCUL, Dehradun
4. Administration Dept. for personnel files of the concerned officers.

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

No. 9259/MD/SIDCUL/2007 **Date: 10 Dec, 2007**

Office Order

I authorize Finance Controller to approve the payments on account of Earnest Money Deposited and other payments of routine nature e.g. salary & wages, water, electricity, rent, TDS, WCT/Sales-Tax, FBT, Service Tax as per policy/rules of corporation.

In case of advertisements, Finance Controller is authorized to approve the payment against advertisement bills, after confirming the administrative approval from MD.

This order will come to effect immediately.

-Sd-
Managing Director

Copy to:
1. General Manager, SIDCUL
2. Finance Controller, SIDCUL
3. All DGM's, SIDCUL
4. All AGM's, SIDCUL

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

No. 8225/DGM/SIDCUL/2006 **Date: 21 Sep, 2007**

Inter office Memo

Enhancement of base price at different IIEs/IEs

The base price of industrial land and various Industrial Estates has been increased as per the decision of Board on 13 Sep, 2007, for the purpose of restoration, re-constitution Levy, any other levies/ Panelties and determining the revised price for future bidding process as detaliled below:-

S.No.	Name of the Industiral Estates	Present Base Price Rs. / Sq. mtr.	Enhance base price Rs. / Sq. mtr.
1.	IIE Haridwar	1500	2500
2.	IIE Pantnagar	1500	2500
3.	Pharamcity	1500	2000
4.	Growth Center, Kotdwar	1000	1600
5.	IT Park	2000	3500

This is for information & necessary action at your end.

-Sd-
Company Secretary/
DGM (Finance)

All GM/DGM/AGM/RMs
Managing Director for information please.

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 7005/M.D. Camp/SIDCUL/2007 **dated: 15 June, 2007**

OFFICE ORDER

In view of the heavy pendency for approval of building plant at IIE Pantnagar and Sitarganj, Shri Y.S. Pundir, Architect is hereby attached as an Architect Planner at IIE, Pantnagar and he will stay three days a week i.e. from Monday to Wednesday at IIE Pantnagar for speedy disposal of the pending matters relating to SIDA.

This order comes into force with immediate effect and will remain effective till further orders.

-Sd-
Managing Director.

C.C.

1. **Shri S.P. Tripathi, General Manager.**
2. **Shri Ashish Gujral, Architect Planner, SIDA**
3. **Shri Naresh Koranga, Asstt. General Manager, SIDCUL**
4. **Sh. D.P. Sharma, Architect, Advisor.**
5. **All officers concerned, SIDCUL.**
6. **Master File, Administration Deptt.**

-Sd-
Managing Director.

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 6711/SIDCUL/M.D./2007 **dated: 07 June, 2007**

OFFICE ORDER

Henceforth files of all the Departments of SIDCUL will be routed through Shri. S.P. Tripathi, General Manager before the same are submitted to the undersigned.

-Sd-
Managing Director.

C.C.

1. **Shri S.P. Tripathi, General Manager.**
2. **DGM (Tech)**
3. **DGM (Project)**
4. **DGM (Finance & Admin)**
5. **AGM, IIE SIDCUL, Pantnagar**
6. **RM, IIE SIDCUL, Pantnagar**
7. **RM, IIE SIDCUL, Haridwar**
8. **PA to MD.**

-Sd-
Managing Director.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 590/328/ उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2007

कार्यालय ज्ञाप

चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के निश्चित विषय में, अर्थात सिडकुल के गठन से लेकर अब तक हुई गंम्भीर अनियमितताओं की घटनाओं की जांच किया जाना आवश्यक हैः–

1. अतएव अब, जांच आयोग अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्याः 60 समन् 1952 की धारा–3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हयु राज्यपाल महोदय, श्री अरविन्द वर्मा, सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के सचिव को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते है।
2. आयोग उपरोक्त उद्देश्यों से निम्नलिखित प्रकरणों की जांच करेगा और उनपर अपनी आख्या देगाः–

1. भूमि आवांटन के प्रकरण में निदेशक मण्डल/शासन द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष वास्तविक आवंटन की प्रक्रिया का परीक्षण।
2. अवस्थापना विकास में स्थापित मानकों एवं पारदर्शिता के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया की स्थिति।
3. सिडकुल के कार्यकलापों में अपनाई गई प्रक्रिया, अनुबन्धों तथा वास्तावित क्रियान्यन का परीक्षण।
4. अन्य अनिमिततायें जो आयोग के संज्ञान में जांच के दौरान आये।

3. चूंकि राज्यपाल महोदय की राय है कि प्रसतावित जांच के स्वरूप और मामले की परिसिीतियों को ध्यान में रखते हुय ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्यपाल महोदय उपर्युक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि उक्त धार की उपधारा (2)(3)(4) और (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।
4. आयोग का मुख्यालय देहरादून होगा।
5. आयोग इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से तीन माह के अन्दर जांच पूर्ण करेगा। यथा आवश्यकता आयोग का कार्यकाल अग्रेत्तर अवधि के लिये बढ़ाया भी जा सकेगा।

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 5902/328/ उद्योग/2007 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिचित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, सिडकुल जांच आयोग 7 मंत्री आवास यमुना कॉलोनी, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
7. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/नैनीताल।
8. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजकीय प्रेस रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की 100–100 प्रतियां गजट के आगमी अंक में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0
(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 6287/GM/SIDCUL/2007 **dated: 15 May, 2007**

To,

Shri N.K. Koranga,
AGM & Officer I/C
IIE SIDCUL
Pant Nagar.

Sub:- Evaluation Committee

The undersigned has been appointed as Chairman of the Evaluation Committee for all the Industrial Estates of SIDCUL vide officer order no. 6237/SIDCUL/MD/2007 dated 10 May, 2007

2. In view of the above, you are hereby authorized to act as Member Secretary for the Evaluation Committee for the matters pertaining to IIE SIDCUL, Pant Nagar with immediate effect.

-Sd-
General Manager

CC

1. JMD, IIE SIDCUL , Pant Nagar
2.DGM (Tech), SIDCUL, Dehradun
3.DGM (Project), SIDCUL, Dehradun
4.DGM (Finance & Admin)

-Sd-
General Manager

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 5055(2)/VII-1-06/137–उद्योग/2005
देहरादून : दिनांकः 28 दिसम्बर, 2006

संशोधन
अधिसूचना

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्याः 5055/ VII-1-06/137–उद्योग/2005 दिनांकः 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा जारी बिन्दु संख्या–5 की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित शब्द 'पर ही प्रभावी होंगे।' को विलुप्त करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायेगाः–

'तथा राज्य सरकार द्वारा सभी घोषित/अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों पर ही प्रभावी होंगे।'

–ह0–
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 5055(3)/ VII-1-06/137–उद्योग/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग बैबसाईट में प्रचारित करने का कष्ट करें।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा), उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

–ह0–
सचिव।

संख्याः 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तराखण्ड ।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादूनः दिनांक 20 दिसम्बर, 2006**

विषयः– मैगा प्रोजैक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004, शासनादेशक संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग /2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति–2003 के प्राविधानों के अनुरूप Mega Projects, जिनमें कुल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो, की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि को बृहत पूंजी निवेश की औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय किये जाने पर Spot Zone औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विनियमित किया जायेगा।

1– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उतनी ही भूमि अधिसूचित/विनियमित की जायेगी, जितनी वास्तविक आवश्यकता Mega Projects के लिये हो।

2– Mega Projects का आशय ऐसे बृहत पूंजी निवेश के उद्योग से होगा, जिसमें कुल अचल पूंजी निवेश रू0 50 करोड़ से अधिक हो।

3– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों आदि से नियमतः स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन तथा अनापत्ति आदि, जो भी वांछित औपचारितायें अपेक्षित हैं, वह सम्बन्धित प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वंय पूर्ण की जायेगी।

4– शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों, नियमों तथा उपबन्धों के अनुरूप भू–उपयोग, भवन निर्माण, हरित पट्टी, सड़क तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये निर्धारित मानकों को पूर्णतः पालन करना होगा।

5– ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की देख–रेख तथा अवस्थापना सूविधाओं के विकास का दयित्व प्रवर्तक कम्पनी की होगी।

6– विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु इच्छुक औद्योगिक इकाई/कम्पनी/उद्यमी, इस आशय का आवेदन पत्र स्थापित किये जाने वाले उद्योग की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट, प्री–फिजिविलिटी रिपोर्ट, ले–आउट प्लान/की–प्लान, स्थलीय मानचित्र, सजरा मानचित्र, खसरा खतौनी, कम्पनी का मैमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल एण्ड एशोसियेशन की प्रति, निदेशक मण्डल का रेजूलेशन तथा भू–स्वामियों से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में किये गये क्रय अनुबन्ध पत्र की प्रति सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत करेंगे, ताकि तदोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार Mega Projects के लिये क्रय की जा रही/क्रय अनुबन्धित भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7– विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन/घोषित किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने, समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन तथा विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

–ह0–
सचिव।

पृ0 सं0387/उक्त/तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– संयुक्त सचिव, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5– आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
6– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7– मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8– अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड ।
9– समस्त जिलाधिकारी।
10– प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून।
12– सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14– NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।
15– गार्ड फाइल हेतु।

–ह0–
सचिव।

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

पत्रांक 4287/सिडकुल/उ0म0प्र0 (परि0 एवं प्रशा0)/08 दिनांक 01/12/2006

कार्यालय आदेश

सिडकुल कार्यालय के आदेश सं0 1382 दिनांक 22 मार्च, 2006 जो कि लेखन–सामग्री EDMS (Lotus) के माध्यम से मोग किये जाने पर उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में प्रायः लेखन–सामग्री उपलब्ध कराने हेतु EDMS (Lotus) से मांग की जाती है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि EDMS (Lotus) ने उल्लिखित सूची में स्टॉक को देखते हुये प्रबन्ध निदेशक कैम्प, महाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक/सहा0 महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी अपनी Indent भरने के उपरान्त स्वंय स्वीकृति करते हुये स्टॉक प्रभारी को प्रेषित करेंगें।

2. अन्य अधिकारियों/अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपनी Indents भरले के उपरान्त अधोहस्ताक्षारी की स्वीकृति हेतु अग्रसारित की जायेगी तथा अधोहस्ताक्षारी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त ही आपकी Indents स्टॉक प्रभारी को प्रेषित करने कपर ही लेखन–सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी।

3. प्रशासनिक अनुभाग से सम्बन्धित अन्य दैनिक कार्यो को देखते हुये लेखन–सामग्री से सम्बन्धित ई–मेल प्रत्येक कार्या दिवस में सुबह 11:00 बजे एवं दोपहर 3:30 बजे ही अवलोकित की जायेंगी। बैठकें/समयबद्ध कार्यो को देखते हुये यदि कोई लेखन–सामग्र तत्काल ली जाती है तब ऐसी परिस्थितियों में स्टॉक मिलान/ऑडिट हेतु सम्बन्धिति अधिकारी/कार्मिक द्वारा औपचारिकतायें उसी दिन अवश्य पूर्ण कर दी जॉय, ताकि ऑडिट हेतु स्टॉक Up-to-date बना रहें।

-Sd-
उपमहाप्रबन्धक (परि0 एवं प्रशा0)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।

1. वैयाक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अन्य अधिकारी/अधिनस्थ कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित पत्रावली में सुलभ सन्दर्भ हेतु अवलोकनार्थ संलग्नक।

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref No. 4036 **Dated: 2 November, 2006**

OFFICE ORDER

In reference to clause no. 11.01 (iv) page no. 31, clause no. 11.01 (vi) page no. 31 and clause no. 11.01(xii) page no. 32 of GIDCR-2005, following officers are hereby authorized for ensuring further necessary action as per details mentioned in annex-1.

1. Sh. Rameshwar Dayal Resident Engineer- For IIE, Haridwar.
2. Sh. P.C. Joshi Resident Engineer – For IIE Pantnagar.
3. Sh. Atul Kumar Jain DGM (Technical)- For IT Park & Pharma City Dehradun.

This order will come in to force with immediate effect.

-Sd-
CEO SIDA

C.C. For information & necessary action

1. JMD SIDCUL IIE Pantnagar
2. GM (BD)/GM(F)/GM(P&A)SIDCUL
3. DGM (H)/DGM(Tech)/DGM (Projects)/DGM(F)
4. Architect-Planner SIDA
5. RM/RE/AGM SIDCUL IIE Pantnagar
6. RM/RE SIDCUL IIE Haridwar
7. Advisor (Technical-Road)/Advisor(Tech)/Advisor(Planning)SIDCUL
8. Engineer M/s Gherzi Eastern Ltd. New Delhi

-Sd-
CEO SIDA

Annexure -1

Procedure for implementation about restoration of damages in SIDCUL's property by industries or any other agencies

a. A committee of three officers will do the site survey and assess the quantum of damages created by industries and find out the restoration costs towards caused damages. Following committees shall function accordingly.

i) For IIE Haridwar – RE SIDCUL, Advisor (Tech-PHE) & PM M/s Gherzi Eastern Ltd.

ii) For IIE Pantnagar – RE SIDCUL, Advisor (Tech-PHE) & RE M/s Gherzi Eastern Ltd.

iii) For IT Park & Pharma City –DGM (Technical), Advisor (Tech-Roads) and Advisor (Planning) SIDCUL

b. The Committee will submit its report to SIDA for further necessary action. An officer from SIDA will immediately issue notices to industries to either rectify the damages for deposit the cost of repairing the damages caused by them within a specified period (A max. of seven days) failing which a penal interest of 1% per month shall be imposed to concerned industry. Restoration of damages caused by industries shall be made by them subject to complete satisfaction of Engineer in charge/officer deputed by SIDA/SIDCUL for the purposed. Cost of restoration of damages on actual basis plus 10% supervision charges shall be recovered from the violator at first instance.

c. Resident Engineer, SIDCUL IIE Haridwar, Resident Engineer, SIDCUL IIE Pantnagar, DGM (Technical) shall be authorized to issue notices of IIE Haridwar, IIE Pantnagar, IT Park & Pharma City respectively.

d. The recovery of such money towards restoration shall be made as per rules.

e. If violation is repeated by any industry, then Rs. 1000/- per day shall be chargeable towards restoration charges in addition to cost of restoration as stated. Disconnecting water and sewerage connections etc. shall be initiated against violating industries accordingly.

f. In case of any dispute, matter will be referred to CEO SIDA through DGM (Tech.) SIDCUL/Architect – Planner SIDA will all details for further necessary action. In all the cases, the decision of CEO SIDA shall be final and binding to all concerned.

It will be worth mentioning here that in compliance to approval already accorded by CEO SIDA regarding penalty/Charges for illegal dumping of construction materials by industries @ Rs. 500/- only per day, the arrangements shall be continued in addition to above. The designated officers for mentioned projects will ensure the implementation of same.

Policy for Re-constitution of ownership of Plots

The Board of Directors in their meeting of 10th May, 2006 had taken a decision to put a blanket ban on all transfers, name changes, reconstitution of ownership etc. of plots allotted at various SIDCUL industrial estates. The blanket ban was imposed to stop trading and speculation in plots by allottees instead of using it for industrial purposes. Reconstitution and name change was also banned as these could be used as indirect instrument for transfer of ownership.

Subsequent to 25th May, 2005, SIDCUL has been obtaining an Undertaking from the allottees that they will not apply for either transfer, name change or change of constitution of ownership. This ban was put in place till 31st March, 2007, the last date for commercial operations to be entitled to the CIP benefits.

Although, this has gone a long way in ensuring proper utilization of plots and has considerably reduced instances of transfers, as a result of this ban, certain genuine cases, where the change in constitution has been required to take additional loans from the banks (from partnership/proprietorship to Limited Company) or tax planning (from Company to partnership/proprietorship) or even infusion of new partner(s)/shareholder(s) without sacrificing the majority, inclusion of family members as partner(s)/shareholders(s), to strengthen the financial/managerial capabilities.

On August, 02, 2006, the Government of India, extended the CIP by 3 years.

The Board of Director in their meeting of 10th August, 2006 discussed the issue of reconstitution in light of the problems being faced by the allottees and extension of CIP by Government of India and authorized the Managing Director/Joint Managing Director to allow reconstitution even in cases an Undertaking has been obtained in the past, having passed a reasoned order in writing and where they are satisfied that the case so merits the consideration and is unlikely to be a pseudo transfer.

Consequently, the Managing Director has directed that the Allotment Committee constituted under the Office Order dated 23rd February, 2005 be deemed as the committee for considering all cases for re-constitution as well. The Company Secretary would be additional

member of both the committees and would have analyzed all cases before they are brought to the consideration of the committee.

The committee while considering cases of reconstitution of vacant plots/non-operational (provided an application is made within 24 months of allotment) will look into the following aspects/documentation:

1. A detailed questionnaire giving all the details of the case in question is filled by the concerned allottee;
2. Partners/Shareholders at the time of the allotment;
3. Partners/Shareholders at the time of application for re-constitution;
4. Documentary evidence, proving beyond doubt, for the above & whether majority (51%) of the original proprietor/partners/shareholders will be retained;
5. Reasons for applying for reconstitution & where stated reason is loan from the banks, then a letter be obtained from the bank, confirming the necessity for reconstitution as well as the amount of loan and proportion of loan in the total funding of the project;
6. Reasons for tax planning would involve conversion of a limited company to proprietorship/partnership and should not involve any change in ownership;
7. Changing ownership by bringing in family members as laid down in the current policy should be allowed;
8. Once the change in reconstitution has been allowed, second re-constitution should be allowed only when the committee is convinced beyond doubt that there is a genuine need for the reconstitution;
9. All approved reconstituted allottees should be required to file an annual statement of partnership/directorship/shareholding, duly certified by the Statutory Auditor of the Company;
10. By operation of law in case of death or permanent disability of a partner/proprietor;
11. In cases of changes in constitution/name on account of operation of law and particularly in case of order of an High Court for amalgamation/merger etc. the same be allowed under the existing policy for reconstitution/change in name;
12. A levy of 15% of the current SIDCUL base rate will be applicable in case of reconstitution is allowed beyond 24 month period;
13. Any other case, where the Committee is satisfied and records so in writing that the case other consideration is not a transfer but that of a genuine business need.

In case of plots where a unit has become commercially operational, the reconstitution will be allowed on payment of reconstitution levy of:

(a) nil-in case the consequent change in shareholding/proportionate capital control changes by less than 24%;
(b) 5% of the current SIDCUL base price-in case the consequent change in shareholding/proportionate capital control changes by less than 49%.

However in case of listed companies in both the above mentioned cases, a change in shareholding pattern shall not be treated as reconstitution of the company for this purpose.

Policy Regarding Product Change or Permission to add Products without any change in shareholding/proportionate capital control of the allottee

Various instances where an allottee has requested that the project for which a particular plot was allotted be changed or certain other relate d or non-related product be allowed to manufacture under a second unit on the same plot.

It is desirous that there be least possible obstructions in allowing change in business line, which occur due to several reasons-change in business cycle, change in tax regime or rates (for eg. removal of excise on certain food products) , attractiveness of a certain product (auto ancillaries). However, at the same time it is important to ensure that the product change has not arisen as a result of change in ownership, particularly by transfer of shares of companies.

The following parameters should be thus considered before allowing change of product:

1. Partners/Shareholders at the time of the allotment;
2. Partners/Shareholders at the time of application for product change or product addition;
3. Documentary evidence for the above & confirmation there there is no change in the capital constitution of the original proprietor/partners/shareholders.
4. Reasons for applying for product change or addition of product;
5. Whether change or addition of the product is in the same line of business;
6. Whether substantial construction has commenced;

The allottee would be required to fill in detailed questionnaire providing for all details of original allotment, product planned to be originally manufactured, changes, reason for changes, share capital, details of loans (if any), etc.

All approved allottees should be required to file an annual statement of partnership/directorship/shareholding, duly certified by the Statutory Auditor of the Company;

Any change in product along with change in shareholding/proportionate ownership will be treated under the policy for reconstitution. However, a change in shareholding of a listed company would not be treated as reconstitution of the Company for this purpose.

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0
2–न्यू कैन्ट रोड़ देहरादून।
फोन- 0135-2708100, 2743292, 2743297,
फैक्स - 0135-2708109 वेवसाइट:- www.sidcul.com

पत्रांकः 3337 प्र0नि0/सिडकुल/2006 **दिनांकः 30 सितम्बर, 2006**

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि उत्तरांचल राज्य में प्रस्तावित निवेश हेतु उद्यमियों को भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में सभी जानकारी एकत्र करने के लिये अलग–अलग अधिकारियों से सम्पर्क करना पड़ता है। अतः एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री आशीष शर्मा, उप महाप्रबन्धक, उत्तरांचल राज्य में स्थित सिडकुल के सभी औद्योगिक आस्थानों एवं निजी औद्योगिक आस्थानों से सम्बन्धित सभी जानकारी यथा भूमि की उपलब्धता, मानचित्र, भूमि दर आदि का विवरण अपने पास रखेंगे तथा सभी भावी उद्यमी उत्तरांचल के सम्बन्ध में श्री आशीष शर्मा, उप महाप्रबन्धक से ही सम्पर्क करेंगे।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक।

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (वित्त)/महाप्रबन्धक (परि0 एवं प्रशा0)/महाप्रबन्धक (बिजनेस डेवलपमेन्ट)।
2. सभी उप महाप्रबन्धक/सहा0 महाप्रबन्धक।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरिद्वार/पन्तनगर।
4. वैयक्तिक सहायक, प्रबन्धक निदेशक।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक।

संख्याः 3238/सात–1 /215–उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 31जुलाई, 2006

विषयः– सिडकुल के माध्यम से मैसर्स हीरो हौन्डा को द्विपहिया, तिपहिया वाहनों के विनिर्माण हेतु औद्योगिक इकाई की स्थापना किये जाने पर भूमि उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नागरिक उड्डयन विभाग के शासनादेश सं0: 181/प्र0स0ना0उ0/पी0एस0/2006–07/IX (13)2005-06 दिनांकः 28 जुलाई, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार स्थित 315 एकड़ भूमि जो की पूर्व में नागरिक उड्डयन अकादमी स्थापित करने हेतु चिन्हित थी, को उनके खसरा नं0 भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिसूचित होने के कारण औद्योगिक विकास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विभाग अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या. 1271/VII-1/औ.वि./65–उद्योग/2005 दिनांकः 28 अप्रैल, 2005 के क्रम में नागरिक उड्डयन विभाग से हस्तान्तरित भूमि के प्रबन्धन, भूखण्ड आवंटन, पट्टा विलेख निस्तारण तथा भू–खण्डों के पुर्नजीवीकरण आदि का कार्य राज्य सरकार की ओर से निष्पादित करने के लिये उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) को अधिकृत किये जाने के लिये श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के साथ सहर्ष सहमति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त भूमि को मै0 हीरो हौन्डा मोटर्स लिमिटेड एवं उनके सहयोगी कम्पनियों को उनकी संस्तुति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

2. चूँकि मै0 हीरो हौन्डा मोटर्स लिमिटेड एवं उनकी सहयोगी इकाईयों द्वारा अगले पाँच वर्षो में 1900 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश एवं लगभग 7,000 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है, उक्त भूमि के आवंटन में नीलामी की प्रक्रिया न अपनाकर राज्य को इस निवेश से होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुये इसे सिडकुल द्वारा निर्धारित 1000/– (एक हजार रूपये) प्रति वर्ग मीटर पर आवंटन किया जाये।
   इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर स्थापित भवन व चाहर दीवारी में शासन द्वारा व्यय की गयी धनराशि कुल रू0 667.25 लाख भूमि के मूल्य के अतिरिक्त रूप से प्राप्त की जायेगी।

3. यह दर उस भूमि पर लागू होगी जो हीरो हौन्डा तथा उनकी सहयोगी इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी न कि उस भूमि पर जो सड़क एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये खुली छोड़ी जायेगी।

4. उक्त भूमि के क्रय से जो धनराशि प्राप्त होगी, वह शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिये नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगें।

5. जिन लोगों को इन संयत्रों में सेवायोजित किया जायेगा उसके लिये योग्यता का आंकलन कर प्रदेश के अर्ह युवाओं को तैयार करने का कार्य भी संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

संलग्न– उक्त

भवदीय,

–ह0–
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /215–उद्योग/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ ऑफिसर–I, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य सचिव।
3– अवस्थापना विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव (वित्त)।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

–ह0–
सचिव।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 1271/-VII-1/औ0वि0/65–उद्योग/2005
देहरादून : दिनांकः 21 जून, 2006

अधिसूचना/विज्ञप्ति

बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार द्वारा ग्राम–रवली महदूद, सलेमपुर व रानीपुर में स्थित भूमि का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड शासन को हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि का कब्जा राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 को प्राप्त हो चुका है, और शासनादेश संख्या 477/अ0स0/औ0वि0/2004, दिनांक 04 अगस्त, 2004 द्वारा इसका नामान्तरण भी राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 के पक्ष में हो चुका है। इसी प्रकार शासनादेश संख्याः 1023/स0/औ0वि0/2004, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2004 द्वारा पंतनगर स्थित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर की 3339 एकड़ भूमि का राज्य अवस्थापना औद्योगिक विकास निगम लि0 के पक्ष में नामान्तरण हो चुका है। चूंकि उक्त एकीकृत औद्योगिक आस्थानों का नामान्तरण उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना औद्योगिक विकास निगम लि0 के पक्ष में हो चुका है। अतः इन एकीकृत औद्योगिक आस्थानों के प्रबन्धन एवं भूखण्ड़ों के पट्टा विलेख निष्पादन, भूखण्ड आवंटन/निरस्तीकरण तथा भूखण्ड़ों के पुर्नजीवीकरण आदि के कार्य राज्य सरकार की ओर से निष्पादित करने के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तरांचल लि0 को अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

–ह0–
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1271/VII-1/औ0वि0/65–उद्योग/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्ा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्थित विभिन्न उद्योग संघ।

आज्ञा से

–ह0–
अपर सचिव।

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 3.06.2006**

विषयः– औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों / शेडों के विभाजन की प्रक्रिया एवं स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त उपयोग मे न आने वाली भूमि पर उद्योग स्थापना तथा प्रथम तल पर निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शसनादेश संख्या–460 / 18–2–67ल0उ0 / 98 दिनांक 13–3–2001 के क्रम में उत्तरांचल राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के फलस्वरूप तथा उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास हेतु उपलब्ध भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों / शेडों के विभाजन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् निर्णय लिये गये है :–

<u>प्लाट का विभाजनः–</u>

(क) इकाई का भूखण्ड / शेड 800 वर्गमीटर या उससे अधिक होने की दशा में इकाई, जो अपने भूखण्ड / शेड में दूसरे उद्योगों की स्थापना करेगी या किराये पर देगी, उसका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(ख) किसी भी इकाई को भूखण्ड / शेड पर एक से अधिक किरायेदार रखने की अनुमति नहीं देगी तथा किरायेदार किसी अन्य को आंशिक रूप से किराये पर देने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

(ग) किराये पर दिये गये भू–भाग की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। साथी ही किरायानामा पंजीकृत होगा। इसके अतिरिक्त वह केवल उसी कार्य को कर सकेगा, जिसके लिये मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अन्य कार्य को करने पर किरायेदारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(घ) किरोय के भाग में स्थापित होने वाली इकाई का उत्पाद पुरानी इकाई के उत्पाद के समाना ही होमोजीनियस प्रकृति का होगा।

<u>इकाईयों के प्रथम तल के निर्माण के सम्बन्ध में:–</u>

(क) इकाईयों को प्रथम तल पर भवन निर्माण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति एवं सिडकुल के जनरल डेवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशन (जी0आर0डी0सी0–2004) के तहत सक्षम प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा। निर्मित भवन की कुल ऊंचाई किसी भी दशा से 10 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ख) इकाई के भूखण्ड के प्रथम तल पर केवल भूतल पर स्थापित उद्योग के अनुरूप लाइट इंजीनियरिंग के कार्य, निरीक्षण, परीक्षण आदि ऐसे तत्सम्बन्धी गतिविधियों के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जायेगा।

(ग) जीर्ण–शीर्ण शेडों के पुर्ननिर्माण हेतु इकाई द्वारा निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारी विनियमित क्षेत्र जो भी लागू हों, स्थानीय बायोलॉज एवं नार्मस के अनुसार कराया जायेगा तथा जिस कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गई है, वहीं कार्य प्रस्तावित कार्यशाला भवन में किया जायेगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डो/शेडों को किराये पर दिये जाने की अनुमति एवं इकाई के प्रथम तल पर भवन निर्माण की अनुमति अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है, समुचित प्रस्ताव उद्योग निदेशक को स्वीकृत/अनुमोदन के लिये भेजे जायेंगे तथा उद्योग निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य निष्पादित किये जायेगा। सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त प्राविधानों/नियमों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

–ह0–
सचिव,
औद्योगिक विकास।

संख्याः 94/औ0वि0/2005–06 तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

–ह0–
सचिव,
औद्योगिक विकास।

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

No. 1203/M.D./SIDCUL/SIDA/2006 **dated:17 March, 2006**

OFFICE CIRCULAR

This is further to the order No. 6095/MD/SIDCUL dated 22 June, 2005

Given the pressure for quick and effective scrutiny of Building Plans and given the work pressure in Pantnagar/Sitarganj, Mr. D.P. Sharma, Architect Advisor is authorized to sign building plants for all maps involving land area ≤ 10,000 sq mts.

All maps involving land are of 10,000 sq mts. and above shall be issued only after approval of the undersigned. This will apply specifically to industrial units and manufacturing facilities. Procedure for sanctioning & passages of maps regarding commercial group housing and other facilities will be laid down separately.

AEP Division is expected to transfer all files relating to Kumaon to be stored in Pantnagar office.

SIDA A/c may also be opened in Pantnagar, so that Financial NOcs can be obtained over e.mail/electronically.

-Sd-
Managing Director

Copy to :-

1. **All GMs & DGMs.**
2. **Mr. Ashish Gujral, (Architect Planner), AEP Division for compliance.**
3. **All Advisors**
4. **R.M. (Haridwar & Pantnagar)**

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 1053/SIDCUL/Admin-O.O./06 **dated: 7 March, 2006**

OFFICE ORDER

Advertising Agencies have been empanelled in the Corporation. Henceforth, all advertisement shall be released through these agencies only.

The department/section initiating the advertisement will obtain the Technical Approval of the management and the same shall be forwarded to GM (P & A) who shall obtain Financial Approval form the Managing Director.

GM (P & A) is authorized to sign the Release Order and shall maintain a register in which name of agency, subject of the advertisement, name of initiating department/section, amount to be paid to the agency, amount actually paid with bill no. and date etc. shall be mentioned.

-Sd-
Managing Director

CC-To all concerned.

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 727/M.D./SIDCUL/2006 **dated: 8 February, 2006**

OFFICE ORDER

File Tracking System is to be made live form 1st week of March therefore its is expected from every office staff to work on EDMS application along with the manual file system so that everybody bcomes acquainted with the system till that period.

Also it is suggested that everybody changes his/her default password so that no unauthorized user can access their account and the responsibility of that will lie entirely with the user.

The file creation rights in EDMS will be limited to the section heads of each department to avoid ambiguity and unnecessary creation of files by users.

All office notices/leaves/meetings would be scheduled through the EDMS interface. Therefore, everybody should regularly check their login accounts.

-Sd-
Managing Director

Copy to:-

1. **All GMs/ DGMs/AGM**
2. **AEP Section**
3. **All Office staff through concerning officer.**

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 17792/DGM/SIDCUL/GM 2005-06 **dated:28Nov, 05**

OFFICE CIRCULAR

As per the decision of the Management, the vacant industrial Plots at Haridwar IIE will be sold in a building Process with a minimum Reserve Price of Rs. 1000/- per square meter. The Plots will be categorized on the basis of size of the plots. The bids will be invited from the prospective allottees through invitation in News Papers.

You are requested to take note of this.

Thanking you,

25.05.2005
Dehradun

-Sd-
Company Secretary
& DGM (Finance)

C.C.
PS to Vice- Chairman
PS to Managing Director
General Manager (F)
General Manager (BD)
General Manager (P&A)
Dy. General Manager (Haridwar)
Dy. General Manager (P)
Dy. General Manager (Tech.)
AGM (Mr. Koranga)
Regional Manager (Haridwar)
Regional Manager (Pant Nagar)

-Sd-
Company Secretary
& DGM (Finance)

संख्याः 367/औ0वि0/रोजगार/2005–06

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विभाग।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
सिडकुल,
2–न्यू कैन्ट रोड़ देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादूनः दिनांक 25 अक्टूबर, 2005**

महोदय,

शासन द्वारा मुझे आपको यह निदेर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जिन औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापनार्थ भूखण्ड आवंटन किये जा रहे है अथवा किये गये है, को भूखण्ड आवंटन/भूखण्डों की लीज डीड निष्पादन इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ किया जाये कि आवंटी औद्योगिक इकाई अपने उद्योग में स्थानीय व प्रदेश के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगी।

उक्त आदेशों का अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित किया जाय।

ह0
(संजीव चोपड़ा)
सचिव

संख्या /उक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. **स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।**
2. **प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तरांचल शासन।**
3. **निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।**
4. **जिलाधिकारी, देरहादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर।**
5. **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून/हरिद्वार/उद्यमसिंहनगर।**
6. Adhisochna print, NIC

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 24.05.2005 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर पुनः सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्लाट की उपलब्धता की दशा में निम्न संलग्नक आवश्यक रूप से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेः–

1. परियोजना रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
2. संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र।
3. ड्राफ्ट

अन्यथा की स्थिति में आवेदक से उक्त औपचारिक्ताएं पूर्ण करने क अनुरोध कर लिया जाए।

यदि किसी वक्त भू–खण्ड उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में आवेदक से **expression of interest** प्राप्त कर लिया जाए जो कि आवेदन पत्र के प्रारूप पर ही लिया जाए, तथापि उनसे कोई धनराशि जमा नहीं करवाई जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बिना प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति के किसी भूखण्ड विशेष का आवंटन पूर्व आरक्षण के न किया जाये तथापि उद्यमियों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र के निर्धारित आवेदन प्रारूप पर उनकी प्राथमिका (**Preference**) अंकित करा लिया जाये, तथापि यह स्पष्ट कर दिया जाये कि आवंटन होने तक यह आरक्षित नहीं माना जा सकता।

कृपया इसका कड़ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 8085/प्र0नि0कैम्प/2005 दिनांक 17.8.2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त महाप्रबन्धक, सिडकुल।
2. समस्त उप–महाप्रबन्धक, सिडकुल।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल।
4. सहायक महाप्रबन्धक, सिडकुल।

-Sd-
प्रबन्ध निदेशक

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

Ref. No. 6095/MD/SIDCUL/GM/05 Dated: 22 June, 2005

Office Order

Building Plans are being submitted by various industries who are setting up manufacturing units in IIE Haridwar Pantnagar and other industrial areas being developed by SIDCUL. The AEP division has been set up tp examine the maps as per GDCR 2004 (as amended from time to time).

I hereby authorize Mr. Ashish Gujral (Architect Planner) to sign on building plans if they are found to be incompliance with the provisions of GDCR.

All maps involving land area of 10,000 sq.mtrs and above shall be issued only after approval of the undersigned. This will apply specifically to industrial units and manufacturing facilities. Procedure for sanctioning & passage of amps regarding commercial group housing and other facilities will be laid down separately.

-Sd-
Managing Director

C.C.

1. All GMs & DGMs
2. Mr. Ashish Gujral (Architect Palnner), AEP division for complance
3. All Advisors
4. RM (Haridwar & Pantnagar).

-Sd-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 4919/SIDCUL/GM 05 **dated:25 May, 2005**

OFFICE CIRCULAR

It has been decided that hereafter all the payments will be routed through DGM (Finance) Hence all the concerned officials/ departments are requested to send the payment requests along with the supporting documents directly to DGM (Finance).

Thanking you,

25.05.2005 -Sd- **Dehradun**

GM (Finance)

C.C.
PS to Managing Director
General Manager (F)
General Manager (BD)
General Manager (P&A)
Dy. General Manager (H)
Dy. General Manager (P)
Dy. General Manager (Tech.)
Regional Manager (H)
Regional Manager (Pant Nagar)

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIALDEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: /C.S./SIDCUL/05 **dated:25 May, 2005**

OFFICE CIRCULAR

As per the decision of the Board of Directors, a one time transfer facility will be allowed to the allottees before 31st March, 2007, Which have been allotted Plots before 25th May, 2005 with some conditions to the Transfers of such Plots as enumerated in the undertaking to be executed by the Transfers as per the copy enclosed herewith as Annexure-I. Similarly the allottees, who will be allotted Plots on or after 25th of May, 2005, will not be permitted to transfer the plots before 31st March, 2007. The copy of the undertaking to be executed by such allottees is enclosed herewith as Annexure-II.

These conditions will be applicable to all the industrial Estates of SIDCUL.

The concerned officials are requested to take note of this and make necessary changes in the Application forms/ Allotment Letters. The undertaking will be executed on Non-Judicial stamp Paper of Rs. 100/-

Thanking

26.05.2005

Dehradun

-Sd-

Company Secretary

C.C.
PS to Vice-Chairman
PS to Managing Director
General Manager (F)
General Manager (BD)
General Manager (P&A)
Dy. General Manager (H)
Dy. General Manager (P)
Dy. General Manager (Tech.)
Regional Manager (H)
Regional Manager (Pant Nagar)

-Sd-

Company Secretary

ANEXURE-II

UNDERTAKING

Undertaking for allotment of plots at _____in favour of _____

I/We_____(Name of Company/Firm) have applied for allotment of plots(s) in our name form _____and I_____, Managing Director/Partner of _____S/o_____aged about _____years, duly authorized by the Board of Directors/Managing Committee of the Company/Firm vide Resolution dated_____do hereby give an undertaking, which we understand, forms a part of the pre-conditions for allotment as follows:

1. **That I/We have accepted the terms and conditions of the allotment in toto.**
2. **That I/We have shall take the possession of the plot within 60 days of allotment after executing the lease deed and fulfilling the other requirement.**
3. **That/ I/We shall start construction on the plot within 90 days of allotment and comply with all the pre-requisites/ rules and regulations for such construction.**
4. **That/I/We shall not transfer this/these plot (s) to any one before 31st March, 2007**
5. **That/I/We shall not apply for re-constitution/ change in name of the allottee at any time before 31st March, 2007**
6. **That I/We understand and accept that any violation/ non-performance of the aforesaid declarations will tantamount to cancellation of the aforesaid plot (s) and allotment thereof without any remedy, refund and rehabilitation.**
7. **That the declarations at 2 to 5 above would apply irrespective of anything said/ mentioned elsewhere including but not limited to the original allotment letter.**

(TRANSFERREE)

NAME:_____

FATHER'S NAME:_____

ADDRESS: _____

ANEXURE-I

UNDERTAKING

Undertaking for transfer of Plot no._____, at Sector_____, IIE, Haridwar admeasuring _____Sq. meters in our name from _____, the original allottee, allotted to him vide letter no._____Dated_____.

I/We_____(Name of Company/Firm) have applied for transfer of the aforesaid plot in our name from _____and I _____Managing Director/Partner of _____S/o_____aged about _____years, duly authorized by the Board of Directors/Managing Committee of the Company/Firm vide Resolution dated_____do hereby give an undertaking, which we understand forms a part of the pre-conditions for effecting the transfer as follows:

1. **That I/We have accepted the terms and conditions of the original allotment in toto.**
2. **That I/We have shall take the possession of the plot within 60 days of permission for transfer after executing the lease deed and fulfilling the other requirement.**
3. **That/ I/We shall start construction on the plot within 90 days of permission for transfer and comply with all the pre-requisites/ rules and regulations for such construction.**
4. **That/I/We shall not transfer this/these plot (s) to any one before 31st March, 2007**
5. **That/I/We shall not apply for re-constitution/ change in name of the allottee at any time before 31st March, 2007**
6. **That I/We understand and accept that any violation/ non-performance of the aforesaid declarations will tantamount to cancellation of the aforesaid plot (s) and allotment thereof without any remedy, refund and rehabilitation.**
7. **That the declarations at 2 to 5 above would apply irrespective of anything said/ mentioned elsewhere including but not limited to the original allotment letter.**

(TRANSFERREE)

NAME:_____

FATHER'S NAME:_____

ADDRESS: _____

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: /C.S./SIDCUL/05 **dated:28 April, 2005**

OFFICE CIRCULAR

Sub:- IIDC at Selaqui, Dehradun.

The Board of Directors in the Meeting held on 19.4.2005 has decided to develop an Integrated Infrastructre Development Centre (IIDC) at Selaqui, Derhadun as a "Pharama City" and selling price of land/ plots in 'Pharma City' at IIDC at Dehradun has been fixed at Rs. 900.00 per sqr. mtrs.

This is for your information and record.

Thanking

28.04.2005

Dehradun

-Sd-

Company Secretary

C.C.
PS to Managing Director
General Manager (F)
General Manager (P & A)
Dy. General Manager (H)
Dy. General Manager (P)

-Sd-

Company Secretary

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: /C.S./SIDCUL/05 **dated:28 April, 2005**

OFFICE CIRCULAR

Sub:- Grant of rebate on receipt of 100% payment within 31 days.

As per the decision of the Board of Directors in the Meeting held on 19.4.2005. it has been decided to include the following language in the allotment letter in IIEs Haridwar & Pant Nagar with immediate effect.

"If the Balance 50% is paid on or before 31 days from the date of allotment then a rebate of 2% shall be admissible on this balance 50% premium"

This is for your information and record.

Thanking you

28.04.2005 -Sd-

Dehradun **S.K. PARIDA**

Company Secretary

C.C.

PS to Managing Director

General Manager (F)

General Manager (P & A)

Dy. General Manager (H)

Dy. General Manager (P)

-Sd-

Company Secretary

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 3861 /M.D./SIDCUL/2005-06 Dehradun dated:19 March, 2005

CIRCULAR

In order to stream line the procedure for approval of the Building Plan of the Industrial Buildings being constructed in IIE's, developed by SIDCUL, the following procedure shall be adopted:-

1. The Regional Manager will advise to the allottees to submit Building Map at Head Office of SIDCUL along with other documents as per the check list (copy enclosed for ready reference).

2. The Architectural Department of SIDCUL Head Office will check the documents submitted by the parties immediately and advised to the persona who has submitted the documents on the spot itself about the short comings, if any.

3. On receipt of the complete information/documents from the allottees, approval of the Building Map, will be accorded by the Head Office itself.

The circular will come into force with immediate effect.

-Sd-

Managing Director

C.C.

1. All G.M.S. / D.G.M.s at H.O. SIDCUL
2. R.M. Haridwar/Pantnagar.
3. Architectural Department, SIDCUL.
4. P.A. to M.D.

-Sd-

General Manager,

STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 3451/M.D./SIDCUL/2005-06 **Dated: 05 March, 2005**

OFFICE ORDER

It has been decided that cancelled Industrial Plots shall be restored on the following conditions:-

1. Restoration charges @7.5% of current rat shall be levied.
2. All the outstanding dues of the Corporation in respect of the cancelled plot shall be cleared before restoration.
3. The allottee shall submit time bound programme, not exceeding one year, for starting commercial production on the plot.
4. Restoration shall always be in favour of the person/company who was the allottee at the time of cancellation.
5. After restoration, fresh Lease Deed shall be executed and possession shall be handed over thereafter.
6. Transfer/sub-division of the restored plot shall not be allowed for next two years from the date of restoration.
7. This policy shall not be applicable for plots, once restored.

This order come into force with immediate effect.

-Sd-
Managing Director

C.C.
1. All G.M.s/D.G.M.s/A.G.M/C.S.
2. R.M. Haridwar/Pantnagar.
3. P.A. to M.D.

-Sd-
Managing Director

STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 3250/M.D./SIDCUL/2005-06 **Dated: 23Feb, 2005**

OFFICE ORDER

In order to further stream line the process of allotment and better evaluation of applications, it has been decided that henceforth all the allotment shall be made through Allotment Committee. The constitution of the Committee shall be as under:-

1. Managing Director - Chairperson of the Committee
2. Nodal Officer of IIE/IIDC - Member Secretary
3. Representative of Finance Deptt. - Member
4. Nominee of the M.D. - Member

Sh. S.K. Sharma, Dy. General Manager and Sh. Atul Kr. Jain, General Manager is being nominated by the undersigned for Garhwal Kumaun region respectively for the aforesaid purpose. The Committees meet at least once a week (earlier if required) and submit recommendation to the undersigned.

This order will come into force with immediate effect.

-Sd-
Managing Director

C.C.:-

1. All G.M.S/D.G.M.s/C.S.
2. P.A. to M.D.

-Sd-
Managing Director

Office Circular

As per the decision of the Board of Directors in the Meeting held on 21.12.2004 the land prices for industrial plots at Haridwar IIE has been revised to Rs. 750/- per Sq.m. w.e.f. 1st January, 2005.

You are requested to take note of this.

Thanking you,

28.01.2005
Dehradun

CC:

PS to Vice- Chairman
PS to Managing Director
General Manager (F)
General Manager (BD)
General Manager (P & A)
Dy. General Manager (H)
Dy. General Manager (P)
Dy. General Manager (Tech.)
Regional Manager (H)
Regional Manager (Pant nagar)

-Sd-
Company Secretary

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांक 27, दिसम्बर, 2004

विषयः– उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास निगम लि0 का गठन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा व्यवहरित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत हैः–

1. उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक विकास निगम की स्थानपना एक मिश्रित स्वरूप में किया गया है, जो पारमपरिक वित्त निगम, औद्योगिक अवस्थापना एवं विकास निगम के उद्देश्यों की पूर्ति समेकित रूप में करेगा तथा इन कृत्यों के संदर्भ में एकल कृति के रूप में कार्य करेगा। इस निगम के सफलता के मार्ग पर अग्रसारित करने के लिए सिडबी, आई.डी.बी.आई. एवं एस.एफ. सी. अधिनियमों तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियामें के प्राविधानों को इस प्रकार अपनाया जायेगा कि यह निगम अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें।
2. इस निगम की स्थापना से उद्योगों को वित्तीय सहायता तथा अन्य आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। जिसके फलस्वरूप राज्य की आर्थिक सिंिति सुदृढ़ होगी, ज संसाधनों का विकास होगा , रोजगार के अवसर बढ़ेंगें, बेराजगारी की समस्या के समाधान हेतु अनुकुल प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखण्ड राज्य अपनी पर्यावरण की स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है, अतः ऐसे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाएगा जो प्रदूषण रहित होगें। राज्य में उद्योग मैत्रीय वातावरण तैयार करने और इस दिशा में राज्य सरकार की सहायता रूपी भूमिका को भी निगम के माध्यम से साकार रूप दिया जा सकेगा।
3. निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निम्न प्रमुख कार्य किए जाएगे, विकास परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना, सहभागिता, सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना, संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना, अवस्थापना विकास, विशेष आर्थिक, जोन विकास, वस्तु विशेष औद्योगिक पार्कों का विकास, कृषि आधारित उद्योगों का विकास, राज्य की विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुरूप मुख्य सैक्टरों में उद्योगों की स्थापना, कन्सलटेन्सी सेवायें, उद्यमिता विकास, औद्योगिक मेलों को आयोजन, सेमीनार एवं रोड़ शो का आयोजन तथा तकनीकी उच्चीकरण आदि।

4. निगम द्वारा प्रबन्धन क्षमता विकास, औद्योगिक आस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्को आदि का विकास स्वयं तथा औद्येगिक संगठनों के सहयोग से किया जायेगा। राज्य में पूर्व से यू. पी.एस.आई.डी.सी तथा उद्योग निदेशालय द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों एवं आस्थानों जो कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में पड़ते है कि संबंध में समस्त अधिकार निगम में निहित होगें।

5. इसके अतिरिक्त सरकार औद्योगिक विकास से संबंधित लैंड बैंक भी बनायेगी, जिसमें ऐसी भूमि जहाँ पर औद्योगि विकास की संभावनायें होगीं निगम को हस्तान्तरित की जायेगी।

6. निगम विभिन्न श्रोतों से संचालित प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करेगा। निगम द्वारा डाटा बैंक तथा शासन के लिए विशेषज्ञता सेल के रूप में कार्य करते हुए एकल खिसड़की व्यवस्था तथा एस्कार्ट सेवायें उपलब्ध करायी जायेगीं/ निगम उद्योग मित्र के सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा।

7. निगम के निदेशक मण्डल का स्वरूप विभिन्न राज्यों में गठित वित्तीय एवं औद्योगिक विकास निगमों के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है। सामान्यतः ऐसे निगमों के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी होते है, तथा औद्योगिक विकास विभाग, वित्त पिभाग, पर्यटन विभाग, नियोजन विभाग व अन्य प्रशासनिक विभागों जैसा राज्य की परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक समझा जाय के प्रमुख सचिव/सचिव निदेशक मंडली में रहते है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं यथा सिडबी, आई.डी.बी0आई. आई.एफ.सी.आई, आई.सी. आई.सी. आदि तथा औद्योगिक जगम के कुछ ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि निदेशक मंडल में नियुक्त/नामित किये जायेगें।

8. जहां तक प्रबन्ध एवं प्रशासनिक तंत्र का सवाल है इसे न्यूनतम आवश्यक आकार का एवं एक व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ ढाचे के रूप में रखे जाने की परिकल्पना है, जिसका अन्तिम रूप से निर्धारण निगम के बोर्ड द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा।

9. संगम ज्ञापन (Memorandum) एवं संगम अनुच्छेअ (Article Of Association) के गठल के लिए काउन्सिल आफ स्टेट इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट तथा इंलपस्टमेंट कार्पोरेशनस आफ दंडिया (COSIDICI) से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है और उनमें उक्त उद्देश्यों को समावेश किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिशचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
-Sd-
सचिव।

पृष्ठांकन सं0–3369(1)/7/126–उद्योग/04 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
5. समस्त निदेशक मण्डल के सदस्य।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की हरिद्वार को प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से

-Sd-
सचिव

संख्याः 968 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 04–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उत्तराखण्ड ।

औद्योगिक विकास विभाग **देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2004**

विषयः **निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ होने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों को चिन्हित (Identify) घोषित (Declare) किये जाने के सम्बन्धम में नीति।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या–940 / औ.वि. / 07 / उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर, 2004 से जारी नीति / दिशा निर्देश के प्रस्तर–4 में स्थापित शब्दों एवं अंशों को शासन द्वारा निम्नवत् संशोधित (Amendment) कर शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी करने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

'इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में गैर औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व स्थापित उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए खसरा नंबरों को अधिसूचित किया गया है। सीमा शुल्क एवं इनकम टैक्स की माफी का लाभ उठान हेतु इन्हें भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। अतएव इन क्षेत्रों को भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

–ह0–
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /उक्त/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, कुमांयू गढ़वाल मण्डल।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड ।
9. समस्त जिलाधिकारी।

10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को बैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

—ह0—
सचिव।

STATE INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL EVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

2, New Cantt Road, Dehradun-24001
Ph- 0135-2743292, 2743297, 2708100
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 1687/SIDCUL/Admin/2004 dated: 29th September, 2007

OFFICE ORDER

Consequent upon Mr. Rajeev Chadha joining SIDCUL as General Manager (ID) and the significant expansion in the construction activity, it has become expedient to modify the work allocation issued earlier. Therefore in partial modification of the order 744/SIDCUL/Admin/2004 dated 3rd July, the revised work allocation is as follows:

1. Sh. S.P. Tripathi GM, (Business Development)

- **Business Development**
- **Single Window facilitation of entrepreneurs**
- **Follows up of investment proposals**
- **Udyog Mitra/State Interest Incentive/Central Investment Subsidy**
- **Financial Consortium**
- **SLBC**
- **Liaisioning with industry associations regarding the new industrial policy and the varying interpretations thereof.**
- **Urban Haat, Export Promotion council Industrial Clusters project**
- **Other works incidential and ancillary to these**

2. Sh. Rakshit Jain, GM(Finance)

- **General Financial functions including internal audit (assisted by Sh. Parida)**
- **Raising Finances for the infrastructure projects under taken by SIDCUL**
- **Industrial estates at Sitarganj (from project conceptualization upto marketing)**
- **Power related works at the IIEs/IT Park (in association with the Project Consultants)**
- **Leveraging funds from the Multilateral/Bilateral agencies**
- **Overseeing the IT functions and initiative of the corporation**

- **Drafting of procedures and financial rules for the corporation**
- **Overseeing the VRS and Divestment of Jaspur & Kashipur Mills**
- **Other works incidental and ancillary to these**

3. Sh. Atul Kumar, GM (Personnel & Admin)

- **Personnel & Administration (assisted by Sh. Naresh Kr. Koranga, AGM)**
- **Transfer of aseests from UPSIDC/UPSMDC**
- **IIDC Schemes**
- **Growth Centre, Pauri**
- **ASIDE**
- **Environmental Issues/Liasioning with Uttarakhand Pollution Control Board & Forest and Wildlife Department.**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

Note: Sh. S.K. Sharma, DGM shall assist Mr. Atul Kumar in the works at bullet point 2,3 &4.

4. Sh. Rajeev Chadha, GM(Infrastructure Development)

- **Concept, Planning and Marketing of IIE Pantnagar**
- **Development and Marketing of IT Park**
- **Land Acquisition cases with the assistance of Mr. Mittal retired Tehsildar.**
- **Liasioning with the various ministries in the Govt. of India**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

5. Sh.S.K. Sharma, DGM

- **VRS and divestment of UPSTC mills at Jaspur & Kashipur**
- **Transfer and divisions of assets and liabilities with the Govt. of UP**
- **Managing IIDC, Growth Centre, Scheme**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

6. Sh. Ashish Sharma, DGM

- **Marketing of BHEL Haridwar**
- **All works pertaining to post allotment of plots in IIEs and Maintenance of files and records**
- **Development systems and processes with regard to estate management**
- **Private industrial estates**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

7. Sh. Atul Jain, DGM

- **Project implemtnation of IIE BHEL and Pantnagar (with the helo of Advisors)**
- **Coordination with the Project Consultant**
- **Tendering for miscellaneous Civil works**
- **Maintenance of Documentation in relation to these.**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

8. Mr. Parida, CS & DGM(Finance)

- **Secretarial Matters relating to the company**
- **Legal Affairs**
- **Financing and Accounting functions as may be delegated by GM (F)**
- **BIFR cases**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

9. Mr. Naresh Kr. Koranga,AGM

- **Assist GM (P&A) in Personnel and Administration Matter**
- **Other works incidental and ancillary to these.**

Sh. Koranga shall report to GM(P&A)

The work distribution of other officers shall remain as had been outlined in the order dated 3rd July, 2004 except that Mr. Vipul Shasmana shall consult the nodal officer for IT implementation in all initiatives so that the efforts are coordinated.

The aforesaid order supersedes all previous orders in this regard and shall come into effect immediately. It is also to be amply clarified that the undersigned may at his discretion assign further work to any officer in addition to what has been outlined above, if the situation so demands.

-Sd-

Managing Director

C.C.

1. PS to Chief Secretary/Chairman, SIDCUL

2. Secretary ID/Vice Chairman, SIDCUL

3. Concerned officers for compliance and information

4. Administration department for records.

-Sd-

Managing Director

STATE INFRASTRUCTUE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

No. 976/DGM (Admin)/SIDCUL/04
Dated: 11/08/04

OFFICE ORDER

Please find enclosed Financial Delegation of Powers relating to bills/purchase/expenditure/external costs/internal cost up to Rs. 50,000/- This is effective immediately. Any such approval requires to be sent to the Managing Director, only if falling outside the parameters notified.

-Sd-
DGM (Admn.)

C.C. for information to all GMs/DGMs/AGMs/RMs.

-Sd-
DGM (Admn.)

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

FINANCIAL DELEGATION OF POWERS

The following Delegation of Power in relation to financial matters is hereby notified.

1. All bills/purchases/expenditures/external costs/internal costs up to Rs. 50,000/- may be approved by the General Manager/Head of the concerned Department subject to it being within the budget and it having received the financial concurrence from the General Manager (Finance).

2. All refunds of Earnest Money Deposits with regards to the land allotments, to be made within the parameters of agreed refund policy (approved by the Managing Director) may be approved by the concerned General Manager/Head of Concerned Department, subject to financial concurrence from the General Manager (Finance). This Delegation of Power is effective immediately and would remain in place till further notice.

This Delegation of Power is effective immediately and would remain in place till further notice.

-SD-
Managing Director

STATE INFRASTRUCTUE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARANCHAL LTD.

2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 Website:- www.sidcul.com

Ref: 904/M.D./SIDCUL **Dated: 30, July, 2004**

OFFICE ORDER

In order to stream line the procedure of allotment of Industrial Plots, execution of lease deed and handing over the possession thereof in the Industrial Estates, a policy has been formulated under which following procedures shall be followed, details of which are attached with this order:-

A. Documents required with application form.
B. Processing of application.
C. Depositing/acceptance of reservation money.
D. Execution of lease deed.
E. Handing over possession of the plot.

In addition of this, the contents of application form and allotment letter have also been revised and allotment of plots shall henceforth be made on the revised formats copies of which are enclosed herewith.

It is hereby instructed to all concerned to strictly adhere to the policy procedures with immediate effect.

In addition to above, Shri Ashish Sharma DGM (Legal) & Shri Atul Kumar Jain DGM shall be nominated as DGM at Head Office level for allotment related activities for IIE Haridwar & IIE Pantnagar respectively.

Enclosures: As above (12 No. Pages)

-Sd-
Managing Director

C.C.:- 1. All General Managers/Dy. General Managers (Legal)/Asstt. General Managers, Haridwar/Pantnagar.
2. M/s. Gherzi Eastern Ltd. for information.
3. Accounts Department, SIDCUL, Dehradun.
4. Internal Audit Cell.

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

Ref: 874/DGM(Admin)/SIDCUL/2004 **Dated: 24/07/2004**

OFFICE ORDER

It has been observed that some advertisement has been released in the news-paper and some work has been got done by an outside agency without the knowledge of the management. This has been viewed very seriously by the management and every person should restrain himself from such action. If such thing is brought tot he notice management in future, a sever action shall be taken against the concerned person.

If there is any need for any official work to be done by an outside agency, it has to be brought to the notice of the Administration Section in writing giving justification. The Administration Section shall prepare a note for approval of the Competent Authority. The work shall be assigned only after obtaining the approval.

This is being issued with the approval of Competent Authority.

-SD-
DGM (Admin)

Copy to:

1. G.M.(BD) /GM(PRJ.)/GM(ID)
2. DGM(Admin)/DGM(Legal)/DGM(Sh. A.K. Jain)
3. AGM(Accounts)
4. All concerned.

-Sd-
DGM (Admin)

STATE INFRASTRUCTURE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.
2-New Cantt. Road, DehraDun - 248001
Phone - 0135-2743292, 2743297, 2743838, 2743837
Fax - 0135-2708109 **Website:- www.sidcul.com**

Ref: 744/SIDCUL/ Admin /2004 **Dated: 03/07/2004**

OFFICE ORDER

The following specific work allocation is hereby made with immediate effect amongst the officers of SIDCUL in addition to any other work to be assigned to them and works ancillary and incidental to these:-

Sh. S.P. Tripathi, General Manager (Business Development)

- Business Development
- Single Window facilitation
- Udyog Mitrs
- Financial Consortium
- SLBC Development of IT & Electronic Park, Dehradun

Sh. Atul Kumar, General Manger (Projects)

- State Interest Incentive, Central Investment Subsidy and registration of substantial expansion.
- IIDC, Selakui-Reports and Sanctions.
- Pauri Growth Centre
- ASIDE
- Data Bank
- Legal matters.

Note: Sh. Atul Kumar will look after the works of Company Secretary till further orders in addition to the works assigned to him.

Sh. Rajesh Naithani, General Manager (Infrastructure Development)

- Project implementation of IIE, BHEL and Pantnagar and liasoning with Consultants M/s Gherzi Eastern Ltd and Agencies on site.
- Apparel Park and Theme Parks in IIE's
- Clearance form Department (STEP, MOEF, SPCB, UPCL, Wild Life, NHAI, Chief Town Planner etc.)

Note: Sh. Atul Kumar Jain, Dy. GM will assist Sh. Rajesh Naithani in the execution of the works.

Sh. S.K. Sharma, Dy. GM

- Administration
- UPSTC Mills at Jaspur, Kashipur including BIFR cases.
- Transfer of other assets from Govt. of UP & division of assets and liabilities.
- BIFR cases
- Supervision of IIE, Sitarganj

Sh. Ashish Sharma, Dy. GM

- Coordination with Field officers posted at BHEL, Haridwar and Pantnagar.
- All works pertaining to post allotment of plots in IIEs and maintenance of the files/records.
- Courts cases / BIFR
- Private Industrial Estates
- SEZ at Pantnagar.

Sh. Atul Kumar Jain, Dy. GM

- Data Bank
- Urban Haat, Dehradun
- Export Promotion Council
- Industrial clusters Project reports
- Concept and Planning of IIE Pantnagar.

Note: In addition to the above works, Sh. Jain will be associated with Sh. Rajesh Naithani for implementation of the Projects at IIE, BHEL and Pantnagar.

Sh. Naresh Kumar Koranga, Asstt. GM

- Correspondence with GOI
- All matters pertaining to excise notification and clarification from Govt. of India.
- Data Bank

Note: Sh. Naresh Kr. Koranga, Asst. GM will look after the work of I/C accounts till further orders in addition to the works assigned to him.

Sh. N.C. Pant, Asst. GM

- He will be posted at Pantnagar and will be designated as Regional Manager
- I/C of Site Office at Pantnagar
- Supervision of IIE Pantnagar
- Allotment of Industrial plots at IIE Pantnagar and maintenance of records thereof.

Sh. Sushil Sharma, Asst. GM

- He will be posted at BHEL, Haridwar and will be designated as Regional Manager
- I/C of Site office at BHEL Haridwar.
- Supervision of IIE BHEL Haridwar
- Allotment of Industrial plots at IIE Haridwar and maintenance of records thereof.

Sh. D.S. Mehta, Consultant

- All the works relating to mining of GoU.
- To act as Advisor Mining on behalf of Industrial deptt. GoU.
- Miscellaneous assignments as given from time to time
- Transfer of Assets from UP.

Sh. Vipul Dhasmana

- Press Conference, Press Releases
- Advertisement and Publicity Material
- Website updation and Networking
- Printing in new letter.
- Media Relations
- Marketing, advertisement, roadshows, conferences.

The aforesaid order supersedes the previous order no. 08/SIDCUL/Admin/2004 dated 07 April, 2004 for allocation of works and will remain in force till further orders.

-Sd-
Managing Director

Copy to:
1. All officers (by name), SIDCUL, Dehradun
2. Administration Department, SIDCUL, Dehradun.

-Sd-
GM(Admin)

जन– समान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (परिशिष्ट–I)

1. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संर्वधन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्वति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से अस्तित्व हैं,

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट–II)

2. विभाग की समस्त प्रशाासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा 5(1), धारा 5(2) एवं धारा 19 (1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियेां एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियेां का नामांकन किया गया है।

सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण

3. नगरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्श्वांकित शाासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा, सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में, उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रताशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिनि के अंद निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।

3.1शासनादेश सं 146/सु0/XXXI (3) G-/3.1 2006 दिनांक 22 मार्च 2006 ((परिशिष्ट–III))

अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा. यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा.

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा. यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यह समझाा जायेगा कि उसे अनुरोध को नामंजूर कर दिया है.

सूचना का अधिकार (पीस एवं लागत का विनियमन), नियम, 2006

4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा.

अधिसूचना ए0–266/
XXII/205-9 (31)
दिनांक 13 अक्टूबर 2006
(परिशिष्ट–IV)
एवं
संशोधित अधिसूचना
सं0 165/मू/XXXI
(13)G-2 (2)/20006
दिनांक 31 मार्च, 2006
(परिशिष्ट–V)

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित हैं और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतीर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारें में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नहीं, लिखित रूप में या मौखित रूप में निवेदन करने के लिये तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा. लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है.

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनांक अंदर विभाग अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है. सम्बंधित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है तो वह उक्त सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है.

प्रथम अपील
धारा 19 (1)

6.1 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के संबंध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है.

6.2 विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अंदर किया जायेगा.

सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन

7. अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयां जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे. उक्त सभी मैनुअल पर सी.डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी. विभाग के प्रत्येक लोग प्राधिकरी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी.

(उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं0 65/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005) (परिशिष्ट–VI)

7.1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्याविधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगे.

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपलब्ध (क) से (ड.) के सम्बन्ध में 5 बिन्दूओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे. विभाग के निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा.

8.1 सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा.

सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना

9. जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुये सूचना पट्ट लगाये जायेंगे.

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही

10. आयोग में धारा 18 (1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक प्रथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा. इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा.

द्वितीय अपील
राज्य सूचना आयोग
(अपील प्रक्रिया)
नियम, 2005
अधिसूचना सं0
305/XXII/2005-9 (33)
2005 दिनांक 13 दिसम्बर,
2005 (परिशिष्ट–VII)

11. अधिनियम की धारा 19 (3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्याक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से संबर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आय्रग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान के लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापनी की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और संस्कारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के पक्ष प्रचालन, समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयाग और संवेदनशील सचूना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवयक है ;

अतः, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिाकों को, कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन का प्रवृत्त होंगे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) 'समुचित सरकार' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो–

(i) केन्द्रीय सरकार का संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्राणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत, है ;

(ख) 'केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा

(ग) 'केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है है ;

(घ) 'मुख्य सूचना आयुक्त' और 'सूचना आयुक्त' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अभिप्रत है है ;

(ड.) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है–

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभी की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति है ;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है ;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है ;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल है ;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक है ;

(च) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ;

(छ) 'विहित' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) 'लोक प्राधिकारी से–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान–मंडल द्वाा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्पायत्त सराकरी संस्था अभिप्रेत है.

और इसके अन्तर्गतः–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ;

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल ;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्क, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति ;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) ; और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(त्र) 'सूचना का अधिकार' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसे नियंत्रणाधीन धाति है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण ;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैकट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना ;

(ट) 'राज्य सूचना आयोग' से अधारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग

अभिप्रेत है ;

(ठ) 'राज्य मुख्य सूचना आयुक्त' और 'राज्य सूचना आयुक्त' से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ड) 'राज्य लोक सूचना अधिकारी' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक अधिकारी भी है ;

(ढ) 'पर व्यक्ति' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक को भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

पहली अनुसूची

(धारा 13 (3) ओर धारा 16 (3) देखिए)

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथा या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

'मैं, जो ———————————————————————— मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

द्वारा स्थापित भारत के संविधन के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता ओर अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवे से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।'

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल

11. भातर–तिब्बत सीमा बल।

12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

14. असम राइफल्स

15. विशेष सेवा ब्यूरो।

16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंडमान और निकोबार।

17. अपराध शाखा–सीआईडी–सीबी, दादरा और नागर हवेली।

18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस।

–ह0–,
सचिव, भारत सरकार।

Annexure –LIII
संख्या 146/सु0/XXXI(3)G-/2006

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **दिनांकः 22 मार्च 2006**

विषयः सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हो गया हैं शासन स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक तेयारियां पहले ही की जा चुकी है। विभागों व अन्य लोक प्राधिकारणों में अधिनियम के प्राविधानें के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारीयों का नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारयों का अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिकारयों की सुविधा के लिए शासन सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है जिसकी प्रतियां सभी विभागों को प्रेषित कर दी गयी है।

इन तैयारियों को दृष्अिगत रखते हुए लोग प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों का निस्तारण सुगमता से किये जाने की अपेक्षा की गयी है, लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाईयां आ रही है जिनका मुख्य कारण प्रक्रिया की अस्पष्टता व विभाग एवे लोक प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधो पर व्यवस्थित, तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाएं जिससे इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रक्रिया से सम्बन्धी अस्पष्टता दूर हो सके। इस संदर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाइयों एवं लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सूचना के अनुरोधकर्ता के लिए सुविधा कक्ष की स्थापनाः–

अधिकांश शंकायें सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा सकती है। सम्भव है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता ही न पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहां भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित है, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक मार्गदर्शक या सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) की स्थापना की जानी आवश्यक हैं जिन कार्यालयों में स्वागम कक्ष पहले से ही स्थापित हैं उनमें इन्हीं स्वागम कक्षों में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए स्वागम कक्ष के एक हिस्से में चाहते हैं? तद्नुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवा कर वांछित सूचना या अनभिज्ञता के

कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिये अनुरोध कर सके। स्वागम कक्ष के अतिरिक्त, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कामन स्पेस (Common Space) को भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। इनमें विभागीय सूचनाओं से संबंधित 17 मैनवलस, विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती हैं।

2. अनुरोधपत्रों के पंजीकरण का प्रारूपः–

सूचना के अनुरोधों का विधिवत् पंजीकरण किया जाना आवश्यक हैं इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश क सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता हैं इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक 1,2,3) प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए दूसरा प्रारूप लोक सूचना पंजीकरण के लिए विहित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण स्तर पर विहित प्रारूपों के अनुसार 'सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका' की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरणप भेजा जा सके।

प्रविष्टि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व लेखाशीर्षक के अधीन राजकोष में जमा करेंगे।

3. अनुरोधपत्रों के पंजीकरण की व्यवस्थाः

प्रारम्भिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहें। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक, सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना हैं। तथापि जहां पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित है, वहां वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसे पंजीकरण की जिम्मेदारी दे सकते हैं यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थित में भी सूचना के अनुरोध पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जाए। इस दिशा मे समुचित व्यवस्था करने लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना के अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा सकें।

4.सूचना शुल्क लेखांकन की प्रक्रियाः

सूचन के अनुरोध पत्रों के साथ 10/–रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं दिया जाना हैं मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, बैक ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता है इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 1/XXVII(7)2005 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विसृति प्रक्रिया सुझाई गयी हैं फिर भी इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग/लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर ले। और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत करें।

यही प्रक्रिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जायेगी। शुल्क से प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरक अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो कि विभाग की रोकड़ बही (Cash Book) में इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को और सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाहीः

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30,35 या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जानी हैं। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सम्भावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं।

संलग्नक 4: सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रषण का प्रपत्र

संलग्नक 5: सूचना के अनुरोधों का पावति प्रपत्र का

संलग्नक 6: अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

संलग्नक 7: तीसरे पक्षधर को सूचना का प्रपत्र

संलग्नक 8: सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

संलग्नक 9: अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र

संलग्नक 10: अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेष्ज्ञित करने सम्बन्धी प्रपत्र

यथा सम्भव पत्राचार लोक सचूना में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियें से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकर/अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में काई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागाध्यक्षों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है ि कवे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त रने व सूचना देने व उसे पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रक्रिया को यदि आवश्यक हुआ तो, विभागयी विशिष्टताओ /व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेंगे, जिसमें सूचना देने की प्रक्रिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी निश्चित प्रक्रिया व प्रारूप का ज्ञान होने में कम से कम कठिनाई हो।

भवदीय

–ह0–
मुख्य सचिव

संख्या 146(1)स0/XXXI(13)G-/2006-तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः

1. मण्डलयुक्त, गढ़वाल/कूमांयू, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

–ह0–
प्रमुख सचिव।

संलग्नक 1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 सं0	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	संबंधित विभाग/ अनुभाग का नाम	आवेदन शुल्क का भुगतान (रू0)	लोक सूचना अधिकारी को आग्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक 2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 सं0	अनुरोध पत्र प्राप्ति की तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क (रू0)	अतिरिक्त शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि (यदि आवश्यक समझा जाए)	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	आदेश निर्गत करने की तिथि
9	10	11	12	13	14	15	16

संलग्नक 3

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र0 सं0	अपील के लिए अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	विभाग / अनुभाग का नाम	अपील से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	ले0सू0ओ0 के आदेश का संक्षिप्त विवरण	अपील स्वीकृत / अस्वीकृत	विभागीय अपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपीलकर्ता को आदेश पत्र निर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेषित करने का प्रपत्र

कार्यायल का नाम व पता

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

प्रेषकः

.....

.....

.....

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

अनुरोधकर्ता का नाम .....

पत्राचार का पता .....

वर्गः बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0 .....

अनुरोध प्राप्ति की तिथि .....

अग्रेषण की तिथि .....

मांगी गयी सूचना का विषय .....

.....

सम्बन्धित विभाग / अनुभाग का नामः .....

सूचना शुल्क की मात्रा रू0 .....

अन्य विवरण (यदि कोई हो) .....

संलग्नक : अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

विषयः अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में

श्री/श्रीमती .....
.....
.....

कृपया अपने दिनांकः ..... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री कसे एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0 ..... अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क0 सं0	समग्री का व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो विभा के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें/अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारिक 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

हस्ताक्षर
-Sd-

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 6

तीसरे पक्षकार की सूचना के लिए प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

.....

.....

.....

संलग्न श्री/श्रीमती ..... से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि इस विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है।

संलग्न : अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय

-Sd-

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तकरण के लिए प्रपत्र

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

लोक सूचना अधिकारी

.....

.....

.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/अपक्रम से सम्बन्धित हैं कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः सूचना का अनुरोधपत्र मूल रूप मे।

भवदीय

-Sd-

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
श्री/श्रीमती .....
.....

-Sd-

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक 8
कार्यालय का नाम व पता

सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

श्री/श्रीमती.....
निवासी .....
.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रू0 .....आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है अतः आवेदन शुल्क देय नही है।

संलग्नक : शुल्क रसीद,

-Sd-
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 9
अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्याः ..... **दिनांकः.....**

.....
.....
.....

कृपया अपने दिनांक ..... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके अनरोध को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(1).....
(2).....
(3).....

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो विभाग के उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी, जिनका पता नीचे दिया गया है, से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनांक के अन्दर–अन्दर अपनी अपील कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.....
.....
.....

भवदीय

-Sd-

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक 10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या ..... **दिनांक.....**

श्री / श्रीमती.....
.....
.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या .....दिनांक .... का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण संलग्न है।
3. निम्नलिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही है।
   (1)
   (2)
   (3)

4. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दाय कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता
.....
.....
.....
.....

संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण।

भवदीय

-Sd-

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

Annexure –XVII

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
संख्या : 266/ XVII/2005-9(31)
सचिवालय, देहरादून
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना।

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22/2005) की धारा 27 की उपधारा–(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन नियम, 2005) है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. परिभाषायेंः– इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों
   (क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभिप्रेत है।
   (ख) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,
   (ग) उन शब्दों और पदो के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाअधिकारी के नाम देय रू. दस की फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाअधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचि रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

   (क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छाया प्रति या तैयार सूचना) हेतु रू. दो प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागतः
   (ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू. पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा।
   (ग) प्रदेशों एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

   अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना कदये जाने हेतु लोक प्राधिकरी के वित्त लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस रसीद की प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

   (क) डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिये जाने हेतु रू0 50 प्रति फ्लॉपी/डिस्केट और
   (ख) किसी मुद्रित प्रकाश की दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिये दो रूपये

–ह0–
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या : 165/24/ XXXI(13)G-2(2)/2006
देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 205 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्

विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखाअधिकारी के नाम देय रू. 10.00 की फीस, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।	अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) की फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालन या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

–ह0–
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 16500/24/ XXXI(13)G-2(2)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तरांचल।
5. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।

Annexure –XVIII

महत्वपूर्ण/तत्काल

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर–1, सी–10 डिफेंस कालोनी, देहरादून

संख्याः 65/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005 **दिनांक : 06 दिसम्बर, 2005**

प्रेषक,

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में,

मानक सूची–1 के अनुसार

विषयः उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से विधान सभा को प्रस्तुत की जान वाली वार्षिक रिपोर्ट–लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उपबंध की प्रगति तथा विभागीय जानकारी का स्वतः (Suo-Motto) प्रकटीकरण।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 (1), जो इस अधिनियम की निगरानी तथा रिपोर्ट के आंकड़ों से संबंधित है, के ऊपर राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा, लोक प्राधिकारी के रूप में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिये माह की प्रगति रिपोर्ट, उक्त पत्र में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार, को अगले माह की 10 तारीख तक आयोग को प्रेषित करने के लिये अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ करें. आशा है कि लोक प्राधिकरी के रूप में प्रत्येक विभाग द्वारा अपने द्वारा तैनात सभी लोक सूचना अधिकारियें से इस संबंध्य में आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही होगी. आयोग द्वाराइ इनकी विभागवार तथा लोक सूचना अधिकारीवार विवरण को माहवार प्रगति के रूप में संकलित कर उसका अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है.

2. आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 (5) तथा धारा 4 की ओर आकर्षित करना है जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट **(Pro-Active Disclosure)** करने का प्राविधान है, अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के बजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12210/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

3. राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग तथा निदेशालय लोक प्राधिकारियों के रूप में कार्यरत हैं तथा प्रत्येक विभाग से अपेक्षित है कि वह विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रगति के अनुसार लोक प्राधिकारी इकाईयों को स्वंय चिन्हित करेगा.

4. **उत्तराखण्ड** सूचना आयेाग के द्वारा यह सूचना एकत्रित की जा रही है कि प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत निर्धारित अभिलेखों को तैयार कर लिया है अथवा नही हौर यदि तैयार कर लिया है तो वह किस रूप में सुरक्षित रखे गये हैं और यदि

उनका कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है तब उन्हें राज्य की या विभागीय बैबसाईट में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं? कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभाग से संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने के उत्तरदायित्व के सापेक्ष निम्न अभिलेखों में से कितने अभिलेखों को विभागीय स्तर पर यह सूचना प्रेषण करने की तिथि तक पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने अभिलेखों को पूर्ण किया जाना अवशेष है तथा इन अपूर्ण अभिलेखों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

5. विभाग के द्वारा जिन अभिलेखों के संबंध में सूचना, जैसा अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) में दयिा गया है, आयोग को प्रेषित की जानी है वे निम्नलिखित हैं:

(i) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना
(iv) नीति बनाने या उसे कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना
(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण
(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकं जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी.
(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित).
(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.
(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.
(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).
(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.
(xiii) रयायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.
(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.
(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.
(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.
(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

6. आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना है कि अधिनियम के अनुसारा धारा 4 (1)(ख) के उपरोक्त अभिलेखों को 12/10/2005 तक पूर्ण कर लिया जाना था. अतः जिन विभागों में यह अभिलेख अब तक पूर्ण न किये गये हों उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुये इस पत्र के उत्तर में उनकी प्रगति भी आयोग को अवगत करा दी जायेगी।

7. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा अभिलेखीकरण के कार्य को भी सर्वोच्च वरीयता के आधार पर लिया गय है तथा इसके अभिलेख केन्द्र (Library and Documentation Center) द्वारा प्रत्येक विभाग के लोक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) की बाध्यता के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेखों को हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति के रूप में सुरिक्षत रखा जान है. अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित सभी अभिलेखों की एक प्रति आयोग के अभिलेख केन्द्र के लिये उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

8. स्वैच्छिक रूप से प्रकट की जाने वाली सूचना **(Pro-Active Disclosure)** तथा स्वतः रूप से (Suo-Motto) सूचना प्रकटीकरण ही इस अधिनियम की मुख्या भावना है. अतः आयोग के द्वारा वार्षिक रूप में विभाग तथा विभाग द्वारा घोषित लोक प्राधिकारियों का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से विभागीय **Pro-Active Disclosure तथा Suo-Motto Disclosures** की प्रगति को ही प्रमुखता दी जायेगी. अतः अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 4 (1) की बाध्यता को समय से पूर्ण करने तथा विभागीय कार्य पद्धति के अंतर्गत ऐसी सूचना के स्वतः प्रकटीकरण की ओर आप स्वंय ध्यान दें तथा इसमें विशेष रूचि लेने का कष्ट करें.

9. आयोग को यह जानने में प्रसन्नता होगी कि आपके द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में **Pro-Active Disclosure तथा Suo-Motto Disclosures** के संबंध में अब तक क्या कार्य किये गये हैं तथा इस दशा में अनय कौन से क्षेत्र, गतिविधियों एवं पद्धतियां लाई जानी प्रस्तावित है तथा इसके लिये वार्षिक रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय भी चिन्हित किया गया है.

10. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों तथा भावना के अनुरूप कार्यवाही को तब तक समुचित रूप दिया जाना संभव नही है जब तक प्रत्येक विभाग तथा लोक प्राधिकारी के स्तर पर अभिलेखों एवं पत्रावलियों के निरीक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती. इस संबंध मे आपका विशेष ध्यान अधिनियम की धारा 2 की ओर किया जाता है जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कृति, दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना तथा सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने सम्मिलित किया गया है. आयोग यह जानने का इच्छुक है कि आपके विभाग के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अभिलेखों के निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियों तथा नमूने देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है तथा यह सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं कि किसी भी प्रार्थी को उपरोक्त सुविधायें अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत सुगमता से प्राप्त हो रही है.

11. आयोग उपरोक्त निरीक्षणों तथा प्रमाणित प्रतियां देने की जो वास्तविक व्यवस्था विभाग के स्तर पर उपलब्ध कराई गयी है उसकी जानकारी लेने का इच्छुक है जिससे इस संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसका समुचित प्रचार प्रसार किया जा सके तथा दूसरी ओर यदि उक्त व्यवस्था करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये जा सके.

12. लोक प्राधिकारी के रूप में तथा विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के रूप में आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 10 तक जो उपबंध तथा बाध्यतायें दी गई हैं उनका स्वयं अपने स्तर पर गहनता से परीक्षण करें तथा फील्ड में भी इनके क्रियान्वयन के लिये समुचित व्यवस्था की गई है. इसके लिये स्वयं तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर पुष्टिकरण भी करा लें.

13. अनुरोध है कि इस पत्र में उठाये गये बिन्दुओं तथा दिये गये सुझावों का आप अपने स्तर पर परीक्षण करा कर आयेाग को शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें तथा संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करें कि वे अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) में वर्णि सभी अभिलेखों की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति का एक सैट आयोग के अभिलेख केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें.

14. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें

भवदीय,

–ह0–
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
संख्याः– 305/XXII/2005- (33)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक 13 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना
नियम

सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2– **परिभाषायें**– इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–
(क) ''अधिनियम'' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत न हो
(ख) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,
(ग) ''आयोग'' से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, औ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगें जो उस अधिनियम में है।

3– **अपील की विषयवस्तुः–** आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली अपील में सूचना की निमनलिखित विषयवस्तु होगी, अर्थातः–

(i) अपीलार्थी का नाम व पता ;
(ii) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता, जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की गयी है;
(iii) आदेशें के विवरण संख्या सहित यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है ;
(iv) अपील के मुख्य संक्षिप्त तथ्य है;
(v) यदि अपील इन्कार समझी गयी हो तो ऐसे आवेदन पत्रों का विवरण, संख्या सहित तारीख राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसको आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था ;
(vi) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना ;
(vii) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना के आधार ;
(viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन और
(ix) अन्य कोई सूचना जिसे आयोग अपील के निर्णय के लिए आवयश्क समझे।

4– **अपील के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजः–** आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील में निम्नलिखित दसतावेज प्रस्तुत करने होगें, अर्थातः–

(i) उन आदेश व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट और सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपि जिनका अपील में आधार लिया गया है

(iii) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका।

5– अपील के निर्णय की प्रक्रिया :– आयोग

(i) सम्बन्धित या हितवद्ध व्यक्ति से शपथ या शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य सुनेगा

(ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकेगा

(iii) अधिकृत अधिकरी द्वारा अंग्रेत्तर विवरण या तथ्यों की जांच कर सकेगा

(iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिाकरी या ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जो प्रथम अपील निर्णित करता हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो जैसी स्थिति हो, को सुन सकेगा,

(v) तीसरें पक्ष को सुनेगा और

(vi) किसी तीसरे पक्ष या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील सुनी हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत हो से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकेगा।

6– आयोग द्वारा नोटिस तामील किया जानाः– आयोग द्वारा जारी नोटिस निम्न में से किसी भी प्रकार से तामील किया जा सकेगाः–

(i) स्वयं पक्षकार के माध्यम से,

(ii) तामील कर्ता के माध्यम से दस्ती

(iii) पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या

(iv) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से

7– अपीलार्थी या परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति–

(1) अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो को सुनवाई के लिए पूर्ण सात दिवसों के पूर्व सूचत किया जायेगा।

(2) अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, आयोग विकानुसार अपील या परिवाद की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगे।

(3) जहां आयोग का यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां है, जिनके कारण अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है, तब आयोग अपीलार्थी या परिवादी तैसी भी स्थित हो को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनावाई का अवसर देगा या जैसा उचित समझें सम्यक कार्यवाही कर सकेगा।

(4) अपीलार्थी या परिवादी जैसी स्थिति हो आवदेन की प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने में किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति का अधिवक्ता होना आवश्यक नहीं होगा।

8– आयोग के आदेश – आयोग के आदेश खुले में सुनाये जायेगें और आयोग द्वारा इस निमित प्रधिकृत अधिकारी या निबन्धक द्वारा लिखित में अभिप्रमाणित किये जायेगें।

पृष्ठांनक संख्या /XXII/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल

2– सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।

3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– महालेखाकार, लेखा एंव हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
9– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल।
10– प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थायें/परिषद।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
13– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
15– उपनिदेश्का, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट आसाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक नवम्बर, 2005 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, 12 ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संबंध में, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कराने का कष्ट करें।
17– सचिव, राज्य सूचना आयोग, देहरादून।
18– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

–ह0–
अनुसचिव

Concessional Industrial Package, Govt. of India

No. 1 (10) / 2001 - NER
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
(Department of Industrial Policy & Promotion)

OFFICE MEMORANDUM

1. The Hon"ble Prime Minister, during the visit to Uttaranchal from 29th to 31st March, 2002, had, inter-alia made an announcement that "Tax and Central Excise concessions to attract investments in the industrial sector will be worked out for the Special Category States including Uttaranchal. The industries eligible for such incentives will be environment friendly with potential for local employment generation and use of local resources."

2. In pursuance of the above announcement, discussion on Strategy and Action Plan for Development of Industries and generation of employment in the states of Uttaranchal and Himachal Pradesh were held with the various related Ministries/agencies on the issue, inter-alia, infrastructure, development, financial concessions and to provide easy market access, The new initiatives would provide the required incentives as well as an enabling environment for industrial development, improve availability of capital and increase market access to provide a fillip to the private investment in the state.

3. Accordingly, it has been decided to provide the following package of incentives for the states of Uttaranchal and Himachal Pradesh.

3.1 Fiscal Incentives to new Industrial Units and to existing units on their substantial expansion:

(i). New industrial units and existing industrial units on their substantial expansion as defined, set up in Growth Centres, Industrial Infrastructure Development Centres (IIDCs), Industrial Estates, Export Processing Zones, Theme Parks (Food Processing Parks, Software Technology Parks, etc.) as stated in Annexure-I and other areas as notified from time to time by the Central Government, are entitled to :

(a) 100% (hundred percent) outright excise duty exemption for a period of 10 years from the date of commencement of commercial production.

(b) 100% income tax exemption for initial period of five years and thereafter 30% for companies and 25% for other than companies for a further period of five years for the entire states of Uttaranchal and Himachal Pradesh from the date of commencement of commercial production.

(II) All New industries in the notified location would be eligible for capital investment subsidy @ 15% of their investment in plant & machinery, subject to a ceiling of Rs.30 Lakhs. The existing units will also be entitled to this subsidy on their

substantial expansion, as defined.

(III) Thrust Sector Industries as mentioned in Annexure-II are entitled to similar concessions as mentioned in Para 3(I) & (II) above in the entire state of Uttaranchal and Himachal Pradesh without any area restrictions.

3.2 Development of Industrial Infrastructure:

(i) The funding pattern under the Growth Centre Scheme currently envisaging a Central assistance of Rs.10 Crores per centre is raised to Rs.15 crore per centre.

(ii) The financing pattern of Integrated Infrastructure Development Centres (IIDC) between Government of India and SIDBI will change from 2:3 to 4:1, and the GOI funds would be in the nature of a grant, so as to provide the required infrastructural support.

3.3 Other Incentives:

(i) **Deen dayal Hathkargha Protsahan Yojna and other incentives of Ministry of Textiles:** The funding pattern between Government of India and both the States would be changed from 50:50 to 90:10 under this Scheme. Ministry of Textiles would extend its package of incentives, as notified for North-Eastern States, to the states of Uttaranchal and Himachal Pradesh also.

(ii) **Ministry of Food Processing Industries** would include Uttaranchal in difficult areas category. The state of Himachal Pradesh is already included in the difficult areas category.

(iii) **Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) :** Ministry of Agro & Rural Industries would provide for states of Himachal Pradesh and Uttaranchal relaxation under PMRY with respect to Age (i.e. 18-40 years from 18-35 years) and Subsidy (@ 15% of the project cost subject to a ceiling of Rs.15,000/- per entrepreneur).

3.4 Ineligible Industries under the policy:

The list of industries excluded from the purview of proposed concessions is at Annexure-III.
In addition, the Doon Valley Notification (S.O.No. 102(E) dated 1st February, 1989 (Annexure-IV) as amended from time to time, issued by Ministry of Environment & Forests would continue to operate in the Doon Valley area and the industries notified under it are excluded from the proposed concessions, in the state of Uttaranchal.

3.5 Nodal Agency

The Nodal Agency for routing the subsidies/incentives under various schemes under this Policy will be notified separately.

4. Government reserves the right to modify any part of the policy in the interest of public.

5. The Ministry of Finance & Company Affairs (Department of Revenue), Ministry of

Agro & Rural Industries, Ministry of Textiles, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Small Scale Industries, etc. are requested to amend Act/rules/notifications, etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

LEASE DEED

Industrial Area, _____
Plot No. _____

THIS LEASE DEED made on the ____day of _____in the year two thousand and ___and corresponding to Saka Samvat _____between **State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited** (SIDCUL), a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at M-16 Chandralok Colony, Dehradun (hereinafter referred to as the **"Lessor"** which expression shall unless the context does not so admit, include its successors and assigns) of the one part,

AND

Shri/Smt./Km._____agedabout_____years,
S/o_____R/o_____

OR

Shri/Smt./Km._____,aged about_____years, son of S/o _____Proprietor of proprietary firm by the name of _____/Karta of Joint Hindu Family Firm, by the name of _____having its office at _____;
OR

1. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____

2. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____

3. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____

4. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____._____

5. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____

6. Shri/Smt./Km._____,aged_____years S/o _____ R/o_____Having its office at _____, a registered/Unregistered partnership firm namely_____ _____commissioning, as per its requirements, on the terms and conditions as may be stipulated, by such State Electricity Board or any other authority/Company, in this regard._____under the Indian Partnership Act, 1932 and duly authorised by the Partnership Deed dated _____/duly authorised by General Power of Attorney executed _____and registered on _____as Document No.

_____, Book No._____ Volume No. _____at pages _____ to _____ with sub-Registrar of Assurances,_____;

OR

_____, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 or the relevant State enactment, having its office at _____, through Mr. _____ the Secretary/ President of the said society, duly authorised by Article _____of the Memorandum of Association of the said Society;

OR

_____, a Private/public limited company incorporated under the Indian Companies Act, _____ and having it's having it's registered office at _____, through its _____, Mr. _____, who has been duly authorised by a resolution passed by the Board of Directors of the said Company, in its Meeting held on _____;

Hereinafter referred to as the **"Lessee"** (which expression shall, unless the context does not so admit, include its legal heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns, as the case may be), of the other part;

WHEREAS:

A. The State of Uttarakhand has conveyed title, rights and interest in the land admeasuring ___, Situated at Village _____, _____ District, Uttarakhand to the Lessor, vide G.O. No. _____, issued on _____, including details of Khasra Nos. specified in the said G. O., for the purpose of setting up an Integrated Industrial Estate/Industrial Area and the Lessor has subdivided the above land into plots and intends to grant leasehold right in such Subdivided plots for the purpose of erecting on each plot a factory/Unit, according to the Rules and Bye-laws under the Factories Act, 1948 and building plans, as approved by the Corporation, Municipality or other competent authorities, as may be applicable.

B. The amount of premium mentioned in Clause 1 hereinafter is provisional and the Lessee shall pay the additional premiums as hereinafter provided in Clause 2.2 (a) and Clause 2.2 (b), as and when determined by the Lessor.

C. The Lessor has agreed to grant of lease and the Lessee has agreed to take on lease a plot of land admeasuring _____, bearing Plot No. ____, Industrial Area _____, _____ District, Uttarakhand. The details of the said plot are described in **Schedule A** annexed hereto, subject to the terms and conditions hereinafter manufacturing _____and allied/ancillary activities, incidental thereto, (**"the Unit"**), as per the design and building plan, approved by the Corporation/ Municipal or other concerned local authority, within the Industrial Area, _____, _____District, Uttarakhand.

NOW THIS LEASE DEED WINTESSETH AS FOLLOWS:

1. LEASE:

1.1 Subject to the provisions of this Deed, the Lessor hereby grants lease of the plot of land admeasuring _____, bearing Plot No. _____, (**"the Demised Land"**) Industrial Area, _____, _____ Uttarakhand to the Lessee and the Lessee hereby accepts the leas for the Demised Land for a period of Ninety (90) years (**"Term"**) from the date hereof, except and always reserving to the Lessor the right to:

(a) (i) Within the period of Twenty Four (24) months from the date of letter of allotment of the Demised Land i.e. _____ (" **Stipulated Period"**) the Lessee shall built and erect construction, execute works and complete installation of plant and machinery and commence production in its Unit.

(ii) However, in case the Lessee in unable to commence production in its Unit, within the Stipulated Period for reasons attributable to the Lessor or any State/Central Governmental authority or any local authority/body having jurisdiction, on an application from the Lessee with supporting document the Lessor shall extend the Stipulated Period, by such period (s).

(iii) In addition, in case the Lessee in unable to commence production in its Unit, within the Stipulated Period, for reasons not covered under the preceding sub-clause, on an application from the Lessee, the Lessor shall consider such application, on merits and may grant such extension(s), as it may deem appropriate, subject to payment of Extension Fee, as may be specified by the Lessor. In case, the Lessor grants extension, the Stipulated Period shall stand extended and thereupon the obligation hereunder of the Lessee to complete the building shall be taken to such extended period.

In case, the Lessor is inclined to reject the application for extension, the same shall be communicated to the Lessee, by a reasoned Order, Passed by the person, having authority, on behalf of the Lessor.

(iv) In case the Lessor, takes a decision not to grant extension as envisaged in Clause 1.1 (a) (iii) above and determines this Deed, the Lessee shall be at liberty to remove and appropriate to itself all building, structures, materials and properties, if any, deposited by them, or their agents, in the Demised Land, after paying all dues, rent and all municipal and other taxes, rates and assessment dues, and any other dues, occurring to the Lessor as on the date of such termination of Lease and to remove the materials from the Demised Land within sixty (60) days of the date of termination of this Deed.

(v) Notwithstanding any such default of the stipulation contained in Clause 1.1 (a) (i) above and in case the Lessor proposes to determine the Lease as envisaged in Clause 1.1 (a) (iv) above, the Lessor shall be given 60 days written notice to the Lessee, indicating its decision to determine the Lease and terminate the Lease Deed.

(b) In case, any mineral is found in the Demised Land and the Lessor requires any part of the Demised Land, for the purpose of mining such mineral, the Lessee shall be entitled to compensation for such portion of the Demised Land or in case, if the Lessee, is unable to conduct its business, at its sole discretion, without the portion of the Demised Land required by the Lessor, the Lessee shall be entitled to lease of land, equivalent to the area of the Demised Land, on the same terms and conditions as in the case of the present Lease, in an industrial area developed by the Lessor, suitable for the needs and requirement of the

Lessee. Also, in case the Lessor requires the entire Demised Land for the purpose of mining minerals, the Lessee shall be entitled to lease of land for an alternate plot of land, equivalent to the area of the Demised Land, on the same terms and conditions as in the case of the present Lease, in an industrial area developed by the Lessor, suitable for the needs and requirements of the Lessee. In addition the Lessee shall be entitled to compensation, including towards cost of relocation.

2. PAYMENTS AND TERMS OF PAYMENT:

2.1. The Lessee hereby agrees to pay an amount of Rs. _____ per square meter, amounting to Rs. _____ (Rupees _____Only), for the Demised Land as provisional land premium. In addition, to the above, the Lessee hereby agrees to pay Locational Charges, if applicable, @ 5% of the provisional land premium (for plots situated on roads with width of 45 metres and above) and an additional 5% of the provisional land premium, towards corner plot charge.

2.2. Out the provisional land premium, the Lessee has hereby paid, a part thereof, amounting to Rs. _____ (Rupees _____Only); the receipt whereof the Lessor hereby accepts and acknowledges. The balance amount of the provisional land premium of Rs. _____ (Rupees _____Only) for the Demised Land is to be paid in _____ yearly installment, along with interest @ _____% per annum on the total outstanding provisional land premium for the Demised Land as on the date of payment of installment, from time to time as follows:

(a)Rs _____ on the _____20_____
(b)Rs_____on the _____20_____
(c)Rs_____ on the _____20_____
(d)Rs_____ on the _____20_____

Provided that if the Lessee pays the installments and the interest on the due dates and there are no over dues on any account the Lessor will grant to the Lessee, a rebate @ 3% per annum on the interest.

NOTE:

(1) The interest on the installment of provisional land premium shall be payable half-yearly on the 1st day of January and 1st day July each year; the first of such payment is to be made on the 1st day of _____ 20 ____;

(2) Liability for payment of the provisional land premium in installments including the interest referred to above, shall be deemed to have accrued from the date of issue of letter of allotment for the Demised Land;

(3) The payments made by the lessee will be first adjusted towards the interest due, if any, and thereafter towards the Maintenance Charges, if any, and the balance, if any, shall be appropriated towards the provisional land premium and thereafter towards the annual lease rent notwithstanding any request by the Lessee in this regard;

2.3. In addition, to the provisional land premium, during the Term of the Lease envisaged herein, the Lessee shall pay an annual rent (**"Rent"**) of Rs. _____ (Rupees_____Only) payable in advance or before the 30th day of April every year for that financial year, from the date of issue of letter of allotment for the Demised Land; the Lessee has paid an amount of Rs. _____ (Rupees _____Only), towards the Rent payable, for the current year computed pro rata, ending the 31st day of March[2004, if applicable, which amount the Lessor hereby accepts and acknowledges. In case, the Rent is not paid in advance by the Lessee, on or before the 30th day of April, for the current year, the same shall carry interest @ 12% from the 30th day of April, till such Rent is received by the Lessor.

2.4. The provisional premium mentioned in Clause 2.1 above, includes the average land cost component based on the cost of acquisition etc. under the Land Acquisition Act of the whole of the land of which the Demised Land forms part of, and the estimated costs for laying for roads, parks and other public utility services. but should the final cost of acquisition of the whole of the said land or any part thereof goes up thereby increasing the land cost component of the plots carved out after development as aforesaid, the Lessor shall request the Lessee to make such proportionate additional premium amount and the Lessee shall

upon receipt of intimation from the Lessor, which demand shall not be delayed beyond a period of three years from the date, the final cost of acquisition is determined, pay within sixty (60) days to the Lessor, the additional premium representing the difference in the land cost component finally determined as aforesaid and the land cost component of the provisional premium mentioned in Clause 2.1 above.

3. **MAINTENANCE FEE:**

3.1. That the Lessor is entitled to demand and receive from the Lessee, annual recurring charge/fee, from the date hereof, or from the date issued of letter of allotment date of the Demised Land to the Lessee, Whichever is letter, for providing services to the Demised Land, including supply of water, maintaining roads, culverts, drains, storm water drains, sewerage, parks, and other common facilities and services (**"Maintenance Service"**). The charge/fee for providing Maintenance Service will be based on the actual total costs and expenses, to be incurred by the Lessor, in order to provide the same to the Industrial Area and the Lessee is required to pay charges, proportionate to the size of the Demised Land (**"Maintenance Charges"**). The Lessor will intimate in advance, the Maintenance Charges, payable for the calendar year on or before January 31, of every year and the same shall be paid by the Lessee, on or before June 30 of every such year. In case of default in payment of Maintenance Charges, the Lessee is liable to pay interest @ 12% p.a. from July 1, of every such year till receipt of payment by the Lessor. In case, Maintenance Charges are not paid by the Lessee, for a Calendar year on of before December 31, of such years, at the discretion of the Lessor, such amount in default, can be recovered from the Lessee, as arrears of land revenue.

3.2. In case, majority of the lessees in the said Industrial Area for an Association/Society and on receipt of an application received from such Association/Society, seeking permission to provide Maintenance Services in the Industrial Area, the Lessor, in its sole discretion, subject to conditions as it may deem appropriate, may transfer to such Association/Society, the right and obligation to provide Maintenance Services in the Industrial Area.

3.3. In case, the right and obligation to provide Maintenance Service in the Industrial Area is transferred to the Association/Society, the Maintenance Charges remitted to the Lessor by the lessees in the Industrial Area, will be transferred to the Association/Society, by the Lessor.

3.4 Lesser in order to enable a hassle free green and clean environs, endeavors to develop special projects under private sector participation (PSP) model. To make such projects viable it shall follow Use pay or Polluter Pay the Principle wherein all units in IIE-Haridwar/Pantnagar leived Traiff based on Volume & Toxicity of effluent or sewage discharge by industrial units. Such Traiff schedule shall be notified by SIDCUL post award of such special project and shall be binding upon all units.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF LESSEE:

4.1. That the Lessee will bear, pay and discharge, from time to time and at all times during the Term of the Lease granted herein, all rates, taxes, charges, claims and outgoing chargeable against the Lessor, in respect of the Demised Land and assessment of every description which during the said Term which may be assessed, charted or imposed upon either on the Lessor or the Lessee in respect of the Demised Land or building to be erected thereupon, by the Lessee.

4.2. That whenever Municipal Corporation/Board, Cantonment Board, Zila Parishad, Town Area or other notified Local Bodies take over or cover this Industrial Area of the Lessor, the Lessee will be liable to pay and discharge all rates, charges, claims and outgoings, chargeable, imposed or assessed of every description, which may be charged, assessed or imposed upon them by the said Local Body, in respect of the Demised Land and the Lessee will abide by the rules and directives of such Local Body.

4.3. That the Lessee will neither make any excavation upon any part of the Demised Land nor remove any stone, sand gravel, clay, earth or any other materials(s) therefrom, except so far as may be necessary for the purpose of forming the foundations of the building and compound walls and executing the works authorized and for leveling and dressing the Demised land, covered by this Deed.

4.4. The Lessee shall not a any time without the previous consent in writing of the Lessor, use the Demised Land or the buildings thereon or permit the same to be used for any purpose other than that of setting up the Unit and other activities ancillary and incidental thereto.

4.5. That the Lessee will keep the Demised Land and the buildings to be erected thereon at all times, in a state of good, substantial and sanitary condition.

4.6. That the Lessee shall observe all rules and regulations regarding maintaining health and safety, as prescribed by the concerned authority and will not carry on or permit to be carried on the Demised Land any obnoxious trade or business whatsoever or use the same or permit the use of same for any religious purpose or any purpose other than for the purpose mentioned hereinbefore without the previous consent in writing, of the Lessor and the municipal or other local authority, as the case may be, subject to such terms and conditions as the Lessor/such Municipal or other local authority and the Uttaranchal State Effluents Board/ Uttaranchal Water (Prevention and Control of Pollution) Board or any other authority may impose, from time to time. Further the Lessee will not do or suffer to be done, on the Demised Land or any part thereof, any act or thing which may be or become a nuisance, cause damage, annoyance or inconvenience to the Lessor or municipal or other local authority or occupiers of other plots in the neighborhood.

4.7. The Lessee, shall at its own expense plant trees on the periphery of the Demised Land (one tree per 200 square metres and one tree at a distance of 15 meters on the frontage of Demised land, facing the road or part thereof) and shall maintain the trees so planted in good condition throughout the Term, hereby created under these presents.

4.8 That the Lessee shall keep the Lessor indemnified against any and all claims for damage which may be caused to any adjoining building or other premises, by building or in consequences of the execution of the aforesaid works and also against all payments whatsoever which during the progress of the work may become payable or be demanded by the Muncipal or local authority, in respect of the said works or of anything done under the authority of the Lessee.

4.9 That the Lessee shall establish at its own cost an appropriate and efficient effluent treatment system / plant and shall ensure that it is ready and functional as per the norms and specifications, laid down or stipulated by the State Pollution Control Board or any other authority established by laws for the time being in force, before production is commenced in the Unit proposed to be set up on the Demised Land, covered by these presents.

4.10. That the Lessee at its own cost shall erect buildings, on the Demised Land in accordance with the lay out plan, elevation and design and in a position to be approved both by the municipal/ local authority and Lessor, in writing and in a substantial and workman like manner, buildings and other structures, to be used as Industrial factory with all necessary out houses, sewers, drains and other appurtenances and proper conveniences thereto according to municipal/ local authority's rules and bye-laws in respect of building drains, latrines and connection with main water line and sewars and will commence such construction within a period of nine months from the date of these present, or from the date on which physical of the Demised Land is handed over to the Lessee, which ever occurs later. Further the Lessor may in its sole discretion, grant such extension, at the request of the Lessee and the Lessee and the Lessee shall complete, the same fit for use and commence the manufacturing and production from the Unit, within the Stipulated Period from the date of these presents or the date on which physical possession of the Demised Land is handed over to the Lessee under these presents, whichever occurs later and within such extended time as may be allowed by the Lessor in writing in its discretion, on the request of the Lessee.

4.11. The Lessee shall utilize such area, as in accordance with the applicable bye-laws for the Industrial Area of the Demised Land by covering it by roof/ permanent shed and other utilities required for the Unit as per approval of the Lessor within the specified period as contained herein, to the entire satisfaction of the Lessor. In case, of failure by the Lessee, to adhere to the stipulation herein above, the Lessor shall issue a notice in writing, in this regard to the Lessee and in case the Lessee, fails to rectify such breach(es), within a period of sixty (60) days from the date of receipt of such notice, the Lessor will have the right to revoke this Deed.

4.12 That the Lessee will not make or permit any major constructions or erections or permit to be erected any new building without prior permission of the Lessor and the municipal or other authority concerned, and in accordance with the terms of such permission and plan approved by the Lessor and the municipal/local authority requiring it so to do, correct such deviation as aforesaid, in writing, and if the Lessee fails to correct such deviation within a period of sixty (60) days from the receipt of such notice, then it shall be lawful for the Lessor or municipal/ local authority, to cause such deviation to be rectified at the expense of the Lessee, which expense the Lessee hereby agrees to reimburse to the Lessor and/ or municipal/ local authority, the quantum thereof, will be determined by the Lessor / municipal / local authority as the case may be. The decision of the Lessor/ municipal / local authority, as the case may be in this regard shall be final and binding on the Lessee. The restriction contained above , is without prejudice to the rights of the Lessee, to carry out repairs, erections for the purpose of safeguarding or strengthening the existing constructions/ buildings or for carrying out modernization/ improvement, of the Unit.

4.13. That the Lessee will provide and maintain, at its own cost, in good condition a properly constructed approach road or path to the satisfaction of the Lessor / Municipal or other local authority, leading from the public road to the Demised Land.

4.14. That the members, directors, officers and subordinates or agents, surveyors, workmen and other authorized representatives/employees of the Lessor shall have access to the Demised Land and shall have the implied right and authority to enter upon the Demised Land and the buildings to be erected thereon, to insect and view the state and progress of the works and for all reasonable purposes at all reasonable times, after given advance notice in writing to the Lessee.

4.15. That the Lessee will not erect any buildings, constructions or structures except compound wall, gates and security post(s) at any portion of the Demised Land within ___ feet from the boundary on _____ sides thereof as marked in **Schedule A** hereto and shall not:

(i) Destroy any part of the building or other structures contiguous/ adjacent to the Demised Land; or (ii) Keep the foundation, tunnels or other pits in the Demised Land open or exposed to weather causing any injury to contiguous or adjacent buildings, or (iii) Dig any pits near the foundation of any buildings(s) thereby causing any injury or damage to such buildings; (iv) Will not erect or permit to be erected at any part of the Demised Land any stables, sheds or other structures of any descriptions whatsoever for keeping horses, cattle, dogs, poultry or other animals except and in so far as may be allowed by the Lessor in writing.

4.16. That the Lessee shall seek and obtain insurance cover for the entire plant and machinery to be installed in the Demised Plot and shall continue to renew/ seek and obtain insurance cover for the plant and machinery in the Demised Plot for the Term of this Lease. Further, the Lessee will submit to the Lessor, the copy of the insurance cover not and other documents/ details in relation to such insurance cover, upon obtaining such insurance cover and upon every renewal, during the Term of this Lease.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LESSOR:

5.1. The Lessor hereby agrees that the Lessee, subject to observing all the aforesaid conditions, shall peacefully HOLD and ENJOY the Demised Land during the Term of the Lease without any interruption by the Lessor, PROVIDED THAT, upon any breach or non-observance by the Lessee or by any person claiming through or under the Lessee, any of the aforesaid convenants or conditions stipulated in Clause 2.2, 2.3, 4.11, and 6.1 herein, the Lessor shall give written notice of sixty (60) days to the Lessee, to remedy such breach or non-observance. In case, the Lessee does not remedy such breach(es) or observe such stipulation(s), indicated in the said notice, the Lessor shall be entitled to, notwithstanding the waiver of any previous case or right of re-entry, enter upon the Demised Land and re-possess it, as if this Lease had not been granted and thereupon this demise shall absolutely stand determined and the Lease stand terminated subject to the right of the Lessee to remove all buildings, fixtures, materials and properties, which have been erected, affixed or brought into the Demised Land, by the Lessee, at no cost to the Lessor, within ninety (90) days from the date of receipt of the communication from the Lessor, in respect of determination of the Lease In case, the Lessor desires to retain any building

warehouse etc., the same may be retained by the Lessor, subject to payment of compensation to the Lessee.

5.2. The Lessor does hereby covenant and agrees that before the expiry of the Term of the Lease envisaged in these present, the Lessee shall be entitle to remove all or any buildings, structures, plant and machinery and other materials/properties which at any time during the Term of this Lease, may have been erected or brought into the Demised Land, by the Lessee, without any claim from compensation whatsoever, from the Lessor.

5.3. The Lessor may allow any public utility service(s), such as electric posts or cables, other than towers/pylons and high voltage cable/lines, water supply and sanitary/sewerage lines, or telegraph/telephone post(s) or cables to be taken through the Demised Land and the Lessee shall not be entitled to any compensation in respect of the same including compensation, if an, relating to the space occupied by such public utility service, PROVIDED THAT, before allowing such public utility service to utilise the Demised Land, the Lessor shall give written notice of sixty (60) day to the Lessee and also, the Lessor, while allowing such public utility service(s) to be taken through the Demised Land, will case only the minium possible hindrance to the Demised Land and/or structures or buildings standing thereon.

5.4. That the Lessor will not exercise its option of determining the lease nor hold the Lessee responsible to make good any damages to the Demised Land or any part thereof, if the same is wholly or partly destroyed or rendered substantially or permanently unfit for building purposes, if the same has been caused due to fire, tempest, earthquake, flood, inundation or violence of any army or a mob or other irresistible force or any Force Majeure Event.

6. BORROWINGS FROM BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS:

6.1. That the Lessee shall arrange the required funds towards land premium, rent construction of buildings / structures, installation and erection of plant and machinery and towards other financial needs, for operating the Unit. The Lessee is empowered to take loans/ borrowings from Banks and other Financial Institutions or through and other source, on the security of the lease rights in the

Demised Land and the Buildings, structures, plant, machinery and goods in trade etc.

6.2. That in case the Lessee commits any default in repayment of the borrowings, the lender for the purpose of recovery of its dues, shall have all the power to initiate appropriate proceedings against the Lessee, including eviction proceedings against the Lessee and shall be entitled to seek and obtain transfer of lease rights to any other person or to occupy the Demised Land itself, subject to making payment of any outstanding dues and other charges, penalties payable by the Lessee, to the Lessor.

7. TRANSFER OF LEASE:

7.1. That the Lessee being an individual, declares, undertakes and affirms that during the Term of this Deed, the Lessee shall not transfer, assign, create joint possession, or otherwise part with the physical possession of the Demised Land, which will have the effect of jeopardizing the rights and interests of the Lessor, in the Demised Land, without the written consent of the Lessor and subject to payment of transfer fees as per Land Disposal Regulations, as may be made applicable, from time in respect of the Industrial Area, wherein the Demised Land is located (**"Transfer Fee"**), by the Lessor. However, on the demise of the Lessee, the rights and interests of the Lessee in the Demised Land, shall be transferred in the name of his legal heir, subject to production of a Death Certificate issued by the concerned Corporation/ Municipality or local body, as the case may be, and a Succession Certificate, issued by the Court of Competent jurisdiction. In such case, the rights and interests to the Demised Land, under this Lease Deed, shall be transferred in favour of such successor in interest by the
Lessor, without payment of any Transfer Fees;

OR

That the Lessee being a Sole Proprietor firm/ registered/ unregistered Partnership Firm/ Society registered under the Societies Registration Act, 1860 or the relevant State enactment, declares, undertakes and affirms that during the Term of this Deed, the constitution of the Lessee shall not be altered or reconstituted, dissolved, or it shall not create possession of the Demised Land,

which will have the effect of jeopardizing the rights and interests of the Lessor, in the Demised Land, or create joint possession of the Demised Land, without the written consent of the Lessor and subject to payment of Transfer Fees, to the Lessor;

OR

That the Lessee being a private/public limited Company, declares, undertakes and affirms that during the Term of this Deed, the Lessee-Company shall not create and third party interests and / or rights in any part or whole of the Demised Land and / or assign any part or whole of the Demised land, in favour of any party(ies), which will have the effect of jeopardizing the rights and interests of the Lessor, in the Demised Land, without written consent of the Lessor and subject to payment of Transfer Fees to the Lessor;

However, the use/ occupation/ enjoyment of any part of whole of the Demised Land including the Unit to be set up therein, by any group Company, subsidiary, affiliate of associate Company, Agent, Distributor, Dealer or Contractor of the Lessee-Company, or by operation of law, shall not be construed to be in contravention of the terms and conditions set out hereinabove, is in conformity with the use for which the Demised Land is demised , under these presents.

7.2. In case, the Lessee is desirous of assigning transferring or sub-leasing any part or the whole of the Demised land, the Lessee shall intimate the Lessor in writing of such intention to assign, transfer or sub-lease, setting forth the name and description of the parties in whose favour such right or interest is proposed to be created or assigned. The grant of permission by the Lessor hereof, will be subject to payment of Transfer Fees and Subject to compliance of the applicable Zoning Plan.

7.3. In the event of mortgage or mortgages, without handing over physical possession of the Demised Land in favour, either of the State Government or the Industrial Finance Corporation of India or the Industrial Development Bank of India or the Life Insurance Corporation of India or the Industrial Credit and Investment Corporation or Industrial Reconstruction Bank of India or any nationalized Bank or Schedule Bank including State Bank of India and its Subsidiaries or Unit Trust

of India or General Insurance Corporation and its Subsidiaries viz, National Insurance Company, United India Insurance Company, Oriental Insurance Company, United India Insurance Company or NSIC or SIDBI or trustees for debenture holders to to secure loan or loans advanced by any of them for setting up on the Demised Land the Unit, the Lessee either furnishes to the Lessor any undertaking from t he financial institutions as aforesaid that the entire outstanding amount of premium and interest thereon shall be directly paid by such financial institution to the Lessor as soon as mortgage is created or pays the entire amount aforesaid from its own resources.

Provided further that if at any time, the financing body or bodies mentioned above decides to take over, sell, lease or assign the mortgaged assets in the Demised Land in exercise of any right vested in it by virtue of the deed or deeds executed in its favour by the Lessee, at the time subsequent to taking the loan or loans or under any law, for the time being in force, the sale, lease or assignment will be subject to mutual consultation between the Lessor and the financing body or bodies mentioned above.

Provided further that, if the Lease of the Demised Land, is assigned/transferred by operation of law or otherwise during the Term hereby granted, the Lessee shall within sixty (60 days from the date of such assignment of transfer, deliver an intimation of such assignment or transfer, to the Lessor setting forth name(s) and description of the party(ies), in case of every such assignment/transfer and the particulars and effect thereof together with every assignment/transfer, with document, effecting or evidencing such assignment or transfer and the documents as aforesaid accompanying the said intimation. In case, such intimation is not communicated within the specified period, without prejudice to the right of the Lessor to determine this Deed for breach of this covenat, the same shall entail a penalty of Rs. 500/- to be paid by the Lessee.

8. RECOVERY OF DUES:

All dues payable and recoverable in respect of this Deed including premium, rent, interest and Maintenance charges, shall be recoverable as arrears of land revenue under the Uttar Pradesh Public Money's (Recovery of Dues Act), as

made applicable to the State of Uttaranchal or the statute or regulations, as applicable, at the relevant time.

9. JURISDICTION AND ARBITRATION:

9.1. The Courts in Dehradun alone shall have jurisdiction in relation to any proceedings, in relation to the matters covered under this Deed.

9.2. All disputes and differences in relation to the applicability, interpretation, rights and obligations of the parties hereunder and/or arising under these presents, shall be referred to a Sole Arbitrator, to be nominated by the Managing Director of the Lessor. Writhing thirty (30) days from the date of receipt of a request for nomination of Sole Arbitrator, the Managing Director of the Lessor shall, nomination of Sole Arbitrator and issue communication in respect of the same to the parties. In case, the Sole Arbitrator is not nominated within the period stipulated hereinabove, the parties will be at liberty to invoke the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and any subsequent amendments thereto or enactment(s) in substitution thereof, for appointment of Sole Arbitrator.

9.3. The arbitral proceedings shall be governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and any subsequent amendments thereto of enactments in substitution thereof.

9.4. The arbitral proceedings shall be conducted in Dehradun, in English language and the parties agree that, the arbitral award shall be binding and enforceable against the parties.

10. OTHER TERMS AND CONDITIONS:

10.1. The allotee shall provide 70% employment to the permanent resident of Uttarakhand State in their proposed unit.

10.2 On expiry of the Term of the Lease, the Parties may extend the period of Lease, for further period(s), on mutually agreeable terms and conditions. In case, the Parties do not extend the Term of the Lease, the Lessee shall deliver the physical possession of the Demised Land, to the Lessor. Prior to handing over

physical possession of the Demised Land, the Lessee shall have the right to remove materials and properties, brought into the Demised Land by the Lessee.

10.3. The Lessee shall be entitled to make arrangements with the State Electricity Board or any other authority/Company providing power in the area, in which the Demised Land is situated, to obtain power connection including power connection for the purpose of construction/erection/commissioning, as per its requirements, on the terms and conditions as may be stipulated, by such State Electricity Board or any other authority/ Company, in this regard.

10.4. All notice, consents and approvals which are to be given and notification of any decision by the Lessor shall be in writing and signed on behalf of the Lessor, by the authorised person and the same shall be considered as duly served if the same has been delivered to in person, posted by registered post/ speed post, even through returned unserved on account of refusal by the Lessee, addressed to the Lessee at the usual or last known place of business of office or at the Demised Land under these presents or at the address mentioned in these presents or if the same has been affixed to the office building upon the Demised Land. The Lessee will include SIDCUL Industrial Area in its address, in all its correspondence with the Lessor.

10.5 The Managing Director of the Lessor shall exercise all powers excisable by the Lessor under this Deed. The Lessor may authorize any other Officer or Officers of the Lessor, to exercise all or any of the powers exercisable by him under this Deed.

Provided that the expression Managing Director shall include the Managing Director of the Lessor for the time being or any other Officer of the Lessor, who is entrusted by the Lessor with function similar to the Managing Director of the Lessor.

10.6 That the determination of this Deed shall in no way prejudice or affect the rights of the Lessor to recover from the Lessee, costs and expenses to rectify/ restore, any damage which may have been caused to the Demised land by the Lessee or any one acting on its behalf, during the Term of this Deed.

10.7 This Deed sets forth the entire agreement and understanding between the Parties as to the subject matter hereof. Except as otherwise provided expressly herein, no modification, amendment or supplement to this Deed shall be effective and binding, for any purpose unless the same is in writing and duly signed by the parties hereto.

10.8 The rights granted or obligations assumed hereunder, shall not be assigned or transferred by the Parties, without the prior written consent of the other Party.

10.9 No failure by either party to enforce any of the provisions of this Deed at any time or for any period of time shall be construed as a future waiver of such provisions or the right of the other party thereafter to enforce any of the provision of this Deed.

10.10 Any provision of this Deed, which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction, shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or influenceability without invalidating the remaining provisions hereof or affecting the validity or enforceability of such provision, in any other jurisdiction.

10.11 The obligation of the Parties hereto shall be deemed to have been suspended and there shall be no liability for damages so long as and to the extent that the performance of this Deed by either/both Party(ies) is/are prevented, hindered, delayed or otherwise rendered impracticable as a result of acts of God, War, riot, insurrection, labour disputes, embargoes or other governmental restrictions or for any other reason not within the reasonable control of the Party so affected, any such event, circumstance or condition being a “Force Majeure Event”.

10.12 Section headings in this Deed are included herein for convenience of reference only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Deed.

10.13 This Deed may be executed in counterparts, each of which when executed and delivered shall be an original and all of which when taken together shall constitute one and the same instrument.

10.14 Nothing in this Deed, expressed or implied, is intended to confer on any person other than the Parties hereto, their respective successors and permitted assigns any rights, remedies, obligations of liabilities under or by reason of this Deed.

10.15 All expenses towards execution and registration of this Deed including stamp duty, registration charges etc. thereof shall be borne by the Lessee.

IN WITNESS HEREOF the parties hereto have set their hands the day and in the year first above written.

For and on behalf of

State Industrial Development Corporation of Uttaranchal Ltd.

1. Witness:

2. Witness:

For and on behalf of

1. Witness:

2. Witness:

SCHEDULE A

(Description of Demised Land as per Recital C)

All that piece of land known as Plot No_____in the Pant Nagar Industrial Area, bearing Khasra No _____ within the village Limits of _____, Tehsil _____, and within/outside the limits of Municipal Council of _____ Udham Singh Nagar District, State of Uttaranchal, containing by admeasurement _____square meters of thereabouts, and bounded by red colour boundary lines on the plan annexed hereto, that is to say:

One or towards the North by _____
One or towards the South by _____
One or towards the East by _____
One or towards the West by _____

Signature : _____
Name : _____
Designation : _____

State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd.
Lessor

Signature : _____
Name : _____
Designation : _____

[_____]
Lessee